UPET010004312017

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-01,एटा।

उपस्थित : मनीषा (J.O.Code UP6137)

सत्र परीक्षण संख्या-21 सन् 2017

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रति

1. मिन्टू पुत्र रूप सिंह
2. बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह पुत्र हेत सिंह
3. पप्पू उर्फ कुसुम कुमार पुत्र सूरज पाल

समस्त निवासीगण बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा।

मु.अ.स.-116/1993
धारा 147/148,302/149,
307/149 भा०द०स०
थाना-जैथरा जिला एटा।

एवं

UPET010041622026

सत्र वाद संख्या-893/2026

राज्य बनाम दुर्विजय सिंह

दुर्विजय सिंह पुत्र किशन उर्फ किशनपाल निवासी बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा

मु.अ.स.-116/1993
धारा 147/148,302/149,
307/149 भा०द०स०
थाना-जैथरा जिला एटा।

अभियोजक	**उत्तर प्रदेश सरकार**
प्रतिनिधित्व	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०)

Digitally signed by MANISHA
Date: 2026.07.18 16:30:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियोजक	**उत्तर प्रदेश सरकार**
अभियुक्त	मिन्टू, विजयपाल उर्फ बृजपाल सिंह, पप्पू उर्फ कुसुम कुमार व दुर्विजय सिंह
प्रतिनिधित्व	श्री बृजमोहन यादव एड श्री नितिन कुमार कश्यप एड श्रीमती पुष्पलता यादव श्री अलोक कुमार तिवारी एड श्री यदुवीर सिंह चौहान एड. श्री राजीव शर्मा एड. श्री भूपेन्द्रपाल सिंह एड.
घटना की तिथि	21-05-1993
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की तिथि	21-05-1993
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	05-01-2018
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	06-02-2018
बयान धारा 313 दं०प्र०स० अंकित किये जाने की तिथि	22-08-2025
निर्णय की तिथि	18-07-2026
निर्णय परिणाम	**दोषसिद्ध**

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक वाद का आरम्भ वादी मुकदमा सतीश कुमार द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण पंछी, मिन्टू, दुर्विजय, विजयपाल, श्याम, विश्वनाथ व पप्पू के विरूद्ध मु०अ०स० 116/93 धारा 147,148,149,302,307 भा०द०स० के अन्तर्गत थाना जैथरा जिला एटा पर दर्ज किये जाने एवं बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त नामित एफ०आई०आर० विश्वनाथ पुत्र हेत सिंह की नामजदगी झूठी पाये जाने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की गयी तथा अभियुक्तगण **पंछी,मिन्टू,दुर्विजय, विजयपाल उर्फ बृजपाल, श्याम व पप्पू** के विरूद्ध धारा 147,148,149,302,307 भा०द०स० के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किये जाने पर प्रसंज्ञान लिया गया।

2. दौरान विचारण पत्रावली से मूल अभिलेख आरोप-पत्र, केस डायरी आदि गायब हो जाने के कारण तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांकित 14.03.2014 द्वारा पत्रावली का पुनः पुर्नगठन किया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त दुर्विजय के अनुपस्थित हो जाने के कारण उसकी पत्रावली शेष अभियुक्तगण से दिनांक 09-06-2026 को पृथक की गई। तत्पश्चात उसके उपस्थित आने पर सुविधा की दृष्टि से दोनों सत्र वादों को दिनांक 04-07-2026 को इंकजाई किया गया।

3. दौरान विचारण **अभियुक्त पंछी** की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी पत्रावली दि० 16-12-2016 को उपशमित की गयी तथा **अभियुक्त श्याम** के काफी समय से न्यायालय में उपस्थित न आने के कारण उसकी पत्रावली पृथक की गयी तथा इस निर्णय के द्वारा **अभियुक्तगण मिन्टू, विजयपाल उर्फ बृजपाल सिंह, पप्पू उर्फ कुसुम कुमार तथा दुर्विजय सिंह** के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया जा रहा है।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि " दिनांक 21-05-93 को सुबह करीब 06-00 बजे मैं और मेरा भाई अशोक व गांव के जयपाल पुत्र जगजीत सिंह, मुन्नू सभी लोग साइकिलों से तारीख करने के लिए जैथरा, एटा से चले। अशोक व जयपाल दोनों एक ही साइकिल पर हमारे आगे चले। साइकिल अशोक चला रहा था। जयपाल पीछे बैठा था। जब हम लोग सड़क पर कृपाल के बाग के पास पहुंचे तभी आगे से पंछी पुत्र रूप सिंह, मिन्टू पुत्र रूप सिंह, दुर्विजय पुत्र किशन सिंह, विजयपाल पुत्र हेत सिंह, श्याम पुत्र पृथ्वी सिंह, विश्वनाथ पुत्र हेत सिंह सड़क की तरफ दौड़ते हुए आये और अशोक को साइकिल रोकने को कहा लेकिन अशोक ने साइकिल नहीं रोकी, तो पंछी ने अपनी बन्दूक से जयपाल व अशोक पर फायर किया जो कि जयपाल की बाजू में लगा और साइकिल गिर पड़ी। अशोक को इन लोगों ने घेर लिया लेकिन फिर भी अशोक जान बचाकर भागा तो यह लोग पीछे भागने लगे और अशोक

को पकड़ लिए और सड़क के पश्चिम की ओर खींचते लेकर भागे। हम सभी लोग अशोक को बचाने के लिए भागे लेकिन हम पर कोई हथियार नहीं था। अशोक को पंछी आदि उपरोक्त अपने बाग में ले गये और हम लोगों को देखते ही अशोक को इन सभी लोगों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी और अशोक की लाश को छोड़कर पश्चिम की तरफ भाग गये। हमने जाकर देखा तो अशोक मर चुका था। उसकी लाश उठाकर अपने घर के पास सड़क पर रखी है। वहाँ गांव के आदमियों को छोड़कर मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

5. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट **अभियुक्तगण पंछी, मिन्टू, दुर्विजय, विजयपाल, श्याम व पप्पू के** विरूद्ध मु०अ०स० 116/93 धारा 147,148,149,302,307 भा०द०स० के अन्तर्गत थाना मिरहची जिला एटा पर दिनांक 21-05-93 को समय 07-40 ए.एम. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

6. प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी इन्द्रेश कुमार भदौरिया द्वारा प्रारम्भ की गयी तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी बनाया गया एवं वादी व साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्तगण पंछी, मिन्टू, दुर्विजय, विजयपाल उर्फ बृजपाल, विश्वनाथ, श्याम व पप्पू के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 302, 307 भा०द०स० के अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,एटा द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए दिनांक 16-12-2016 को सत्र सुपुर्द किया गया, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-21/2017 राज्य बनाम मिन्टू आदि के रूप में पंजीकृत किया गया।

7. विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 05-01-2018 को अभियुक्तगण मिन्टू, दुर्विजय, विजयपाल सिंह एवं पप्पू उर्फ कुसुम कुमार पर धारा 147, 148, 302/149, 307/149 भा०द०स० के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने दोषी होने के अभिवचन से इंकार किया एवं परीक्षण की याचना की।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गये आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये:-

क्र.स.	**साक्षी पदनाम**	**साक्षी का नाम**
1.	पी०डब्लू-1	वादी मुकदमा सतीश कुमार
2.	पी०डब्लू-2	जयपाल सिंह
3.	पी०डब्लू-3	मुन्नू सिंह
4.	पी०डब्लू-4	निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया
5.	पी०डब्लू-5	चीफ फार्मासिस्ट सुबोध मिश्रा
6.	पी०डब्लू-6	चीफ फार्मासिस्ट विपिन कुमार
7.	पी०डब्लू-7	एच.सी.469 कैलाश कुमार

9. बचाव पक्ष की ओर से **डी०डब्लू-1 के रूप में साक्षी हेड कॉ० 376 अजब सिंह** को परीक्षित कराया गया है।

10.अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल की गयी है:

क्र.स.	**प्रदर्श संख्या**	**प्रपत्र का विवरण**
1.	तहरीर वादी	प्रदर्श क-1
2.	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क-2
3.	मजरूब जयपाल की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट	प्रदर्श क-3
4.	मजरूब जयपाल के एक्स-रे हेतु संदर्भित पत्र की कार्बन प्रति	प्रदर्श क-4
5.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क-5
5.	आरोप-पत्र	प्रदर्श क-6

11. **<u>मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्टः-</u>**

दिनांक 22.05.1993 को मृतक अशोक पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा के शव को कां.583 व होमगार्ड 2877 उदय भान सील हालत में लाये थे। पोस्टमार्टम न० 195/93 आयु 25 वर्ष के शव का पोस्टमार्टम किया था, जिसके मृत्यु का संभावित समय सवा दिन था, मृतक एवरेज कदकाठी का था। मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायीं गयीं-

1. गोली घुसने का घाव 2X2 सेमी आर-पार सिर के सीधी तरफ
2. गोली निकलने का घाव 5X5 सेमी,
3. गोली घुसने का घाव 1×1 सेमी कान के सीधी तरफ
4. गोली निकलने का घाव 4x4 सेमी
5. गोली घुसने का घाव 2x2 सेमी. स्किन डीप राइट साइड ऑफ चेस्ट

मृतक के पाँच कपडे एक कमीज, एक पेंट, एक अंडर बियर, एक बनियान, एक जोड़ी जूता सील किया गया था तथा एक गत्ता दो टिक्की, पच्चीस छोटे छर्रे एसएसपी को भेजे गये थे। मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय सवा दिन था। मृतक की मौत अधिक रक्त स्राव होने व कोमा के कारण हुयी थी। दिनांक 21-05-1993 को जयपाल पुत्र जंगजीत साकिन बनियाढरा को प्रमोद कुमार लाया था। जिसका उसने 7:30 मिनट सुबह डॉक्टरी मुआयना पी०ए०सी० जैथरा पर किया था। जिस पर मजरूब का पहचान चिन्ह व निशानी अंगूठा अंकित है। मजरूब के निम्न चोटें पायी गयी थीं-

चोट न० 1. फटा हुआ घाव कोहनी के पास घाव 0.5x0.5 सेमी सरकुलर शेप में इस चोट पर ताजा खून मौजूद था। एक्सरे की सलाह दी गयी थी।

चोट न० 02 मल्टीपल लेसेरेटेड वुंड लेफ्ट फोरआर्म इनर एस्पेक्ट आफ। जिसकी साइज 1.5X1.5 सेमी हर चोट सरकुलर शेप की है। सभी चोटें ताजा थी एक्सरे की सलाह दी गयी है उक्त चोटें गोली से आना संभव है। डूयरेशन ताजा है, जिस पर कॉ० प्रमोद कुमार मजरूब का निशानी अंगूठा अंकित है।

मजरूब को एक्सरे के लिए रेफरेन्स लिखकर दिया गया जो उसके द्वारा तैयार किया गया था, जो पत्रावली पर प्रदर्श क-4 उपलब्ध है।

12. अभियोजन की ओर से अपने केस को साबित करने के लिए **कुल् 07 साक्षीगण** को परीक्षित कराया गया हैः-

13. अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 सतीश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के पूर्व से गांव की पार्टीबंदी और रंजिश चली आ रही थी। घटना दिनांक 21.05.1993 की है। समय सुबह करीब 06:00 बजे का था। वह व उसका भाई अशोक और गांव के जयपाल सिंह, मौहर सिंह, मुन्नू सिंह वे सभी लोग साइकिलों से एटा तारीख करने के लिये अपने गांव से जैथरा के लिए चले थे। अशोक व जयपाल दोनों एक साइकिल पर उनके आगे चले, साइकिल अशोक चला रहा था। जयपाल पीछे बैठा था। जब वे सब लोग सड़क पर कृपाल के बाग के पास पहुंचे, तभी सामने से पंछी, मिन्टू, विजयपाल, विश्वनाथ, दुर्विजय तथा श्याम व पप्पू जो उसके ही गांव के रहने वाले थे, जिनके हाथों में नाजायज बन्दूक थी, लेकर उनके पास आये। इन्होने अशोक को साइकिल रोकने को कहा, लेकिन अशोक ने साइकिल नहीं रोकी तो पंछी ने अपने हाथ में लिये बन्दूक से अशोक व जयपाल पर फायर किया, जो जयपाल की बाजू में लगा। इनकी साइकिल गिर गयी, तो अभियुक्तों ने उसे घेरकर पकड़ लिया और खींचते हुए पश्चिम की तरफ बाग में ले गये। वे सब लोग अशोक को बचाने के लिये इन लोगों के पीछे भागे, उन लोगों पर कोई हथियार नहीं थे। अभियुक्त अशोक को बाग में ले गये और गोलियां मार दी। अभियुक्तों को घटना कारित करते उन लोगों ने देखा। अभियुक्त अशोक की हत्या करके भाग गये। उन लोगों ने जाकर अशोक को देखा वह मर चुका था। वे लोग अशोक की लाश को उठाकर अपने घर की सड़क पर ले आये और घरवालों व गांव वालों की मौजूदगी में रखकर रिपोर्ट करने के लिए वह व उसके साथ के लोग थाना जैथरा गये। घटना की तहरीर रामनरेश से

लिखवाकर पढ़वाकर सुनने के बाद अपने हस्ताक्षर बनाकर थाना जैथरा पर अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने को दी और अभियुक्त के खिलाफ घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी। पत्रावली पर मौजूद तहरीर कागज संख्या 33अ को देखकर साक्षी ने कथन किया कि यह वही तहरीर है जो उसने रामनरेश से लिखाकर अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दी थी। इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। चुटैल जयपाल का सरकारी अस्पताल जैथरा में डॉक्टरी मुआयना हुआ था। मौके पर पुलिस आयी थी। उसके भाई अशोक की लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। विवेचक ने उसका बयान लिया था।

14. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि "इस समय वह अल्हेदादपुर थाना हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में रह रहा है। वह वर्ष 1990 से नहीं रह रहा है बल्कि वर्ष 2000 से रह रहा है। उसके पूर्व गांव बनियाढहरा थाना जैथरा में उसकी नाम बाल्दियत का उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। पंछी व मिंटू पुत्रगण रूप सिंह सगे भाई हैं और रूप सिंह, हेत सिंह सगे भाई हैं। हेत सिंह का लड़का बृजपाल है जो इस केस का मुल्जिम है। पंछी का चचेरा भाई नरेश है,जो बृजपाल मुल्जिम का सगा भाई है। नरेश दुर्विजय के चाचा हैं। इस घटना से पहले उपरोक्त नरेश को गोली लगी थी, जिसमें दिनेश, होशियार सिंह पुत्र मोहर पाल, रविंद्र सिंह आदि को अभियुक्त बनाया गया था। इस केस में अभियुक्तगणों की पांच-पांच साल की सजा हुई थी। मुन्नू व रविंद्र सगे भाई हैं। मुन्नू उसके इस केस में गवाह है। उपरोक्त होशियार का पिता मोहर पाल उसके इस केस में गवाह है। पंछी को गोली मारने की रिपोर्ट इस घटना से पहले अशोक मृतक पर नहीं हुई थी, बल्कि दिनेश आदि पर हुई थी। यह कहना गलत है कि पंछी के गोली मारे जाने की रिपोर्ट में अशोक मृतक मुल्जिम रहा हो, और उसकी सजा हुई हो। इस केस में होशियार व रविंद्र की सजा हुई थी। उसके गांव के वीरेंद्र का कत्ल हुआ था। उस केस में अशोक पर कोई रिपोर्ट नहीं हुई थी। वह पांच भाई हैं, जिनके

नाम रिषीपाल, अशोक, सतीश, दिनेश एवं विनोद हैं। वीरेंद्र के कत्ल में उसके भाई दिनेश को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। वह कपूरा देवी को जानता है, जो रघुवीर सिंह की बहन है जो उसकी सगी बुआ हैं। इनका भी कत्ल हुआ था। इस घटना से पहले कपूरा देवी की कत्ल की रिपोर्ट उसके भाई दिनेश और श्याम सिंह जो कपूरा देवी का ही लड़का था, पर हुई थी। यह कहना गलत है कि कपूरा देवी के कत्ल में वह व अशोक दोनों ही मुल्जिम रहे हों। धर्म सिंह व मलखान सगे भाई हैं, और धर्म सिंह के लड़के उसके पिता रघुवीर हैं तथा मलखान के लड़के साधु हैं। साधु सिंह की पत्नी सुशीला देवी उसकी चाची थी। यह कहना गलत है कि अपनी चाची सुशीला देवी को इस घटना से पहले मृतक अशोक भगाकर ले गया हो। जयपाल सिंह की बहन का नाम श्रीमती कृष्णा है। यही जयपाल उसके इस केस में गवाह हैं। उसकी चार बहने हैं, जिसमें से एक का नाम शशि है। शशि के पति का नाम गुमान सिंह है। यह कहना गलत है कि उसकी सगी बहन शशि कृष्णा के लड़के अनुज को ब्याही हो। घटना वाले दिन वह बनियाढारा थाना जैथरा में रह रहा था। यह घटना दिनांक 21-06-1993 की है और उसने वर्ष 1999 को गांव छोड़ दिया था। इसके बाद से अलीगढ़ में रह रहा था। अभियुक्त मिंटू व पंछी आपस में सगे भाई हैं। घटना वाले दिन उसके भाई अशोक व गांव के जयपाल मोहर सिंह व उसका स्वंय का मुकदमा चल रहा था जिसकी तारीख करने जा रहे थे। उसे यह जानकारी नहीं है कि वह मुकदमा सिविल से संबंधित था या फौजदारी था। तारीख करने एटा आ रहे थे। वह न्यायालय का नाम नहीं बता सकता कि मुकदमा किस न्यायालय में चल रहा था। वे सभी लोग एक साथ साइकिलों से निकले थे कुल तीन साइकिलों पर थे। उसके साथ मुन्नू बैठा था। उसका भाई जयपाल के साथ बैठा था। उसका भाई अशोक साइकिल चला रहा था। उसकी अभियुक्तों से पहले से रंजिश चली आ रही थी, क्योंकि अभियुक्तगण ने उसके बड़े भाई रिषीपाल को मार दिया था।

इसकी रिपोर्ट लिखी थी, फिर कहा कि मोहर सिंह ने लिखी थी। उसे इस समय याद नहीं है कि यह रिपोर्ट किन-किन लोगों के खिलाफ लिखी गई थी। उसे यह जानकारी है कि वह मुकदमा न्यायालय से छूट गया है। यही रंजिश अभियुक्तगणों से चली आ रही थी। घटना वाले दिन वे लोग सुबह 6:00 बजे घर से निकले थे, वे लोग खाना खाकर नहीं निकले क्योंकि सुबह 6:00 बजे कोई खाना नहीं खाता। वे लोग गांव से 700 से 800 मीटर दूरी पर पहुंच पाए थे। कृपाल के बाग में आम के पेड़ लगे थे। सड़क जिस पर वे लोग जा रहे थे वह बाग से सटी हुई जाती है। यह सड़क पक्की है। यह सड़क जैथरा से दरियागंज मिलती है। उसका भाई अशोक पैंट शर्ट पहने हुए था। उसने थाने पहुंचने के बाद तहरीर दी थी। उसके बाद पुलिस मौके पर आई थी। वह पुलिस के साथ आया। रिपोर्ट लिखाने, वह और जयपाल गए थे। साइकिल उसने घटनास्थल पर ही छोड़ दी, जयपाल को गोली लगी थी, खून निकला था। जयपाल के कपड़े खून से खराब नहीं हुए थे, क्योंकि गोली हाथ में लगी थी। जयपाल के हाथ पर उसने साफी बांधी थी। वह साफी उसकी थी, उसने साफी विवेचक को दिखाई थी। उन्होंने साफी नहीं ली। उसका घटना वाले दिन एक मुकदमा एटा में था। फिर कहा कि एटा में घटना वाले दिन दिनांक 21-05-93 को उसका कोई मुकदमा नहीं था। वह अपने भाई को छोड़ने जैथरा तक जा रहा था। उसको केवल जैथरा तक आना था। उसका बयान दिनांक 14-08-2019 को मुख्य परीक्षा का हुआ था। उसमें उसने बयान दिया कि वह व उसका भाई साइकिल से एटा तारीख करने के लिए जैथरा के लिए चले। वह तथा गांव के जयपाल सिंह, मौहर सिंह, मुन्नू सिंह यह सभी लोग अशोक को छोड़ने के लिए साइकिलों पर आये थे। अशोक की सुरक्षा में जयपाल, मोहर सिंह, मुन्नू सिंह के अलावा पुलिस के कांस्टेबल भी थे। पुलिस के दो कांस्टेबल अशोक को मिले हुए थे। अशोक पर कुल कितने मुकदमे चले उसे जानकारी नहीं है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि घटना वाले दिन जिस

मुकदमे में अशोक एटा आ रहा था, उसमें मुल्जिम था। उसे यह जानकारी नहीं है कि वह मुकदमा जमीन सम्बंधी था या फौजदारी का था। उस पर आज तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। उसके नाम व बल्दियत का कोई अन्य व्यक्ति उसके गांव में नही है। मिन्टू व पप्पू से मृतक अशोक की रंजिश थी, मिन्टू ने उसके बड़े भाई रिषीपाल, का कत्ल किया था। रिषीपाल का कत्ल वर्ष 1990 में हुआ था। हत्या के उस मुकदमे में पप्पू मुल्जिम नही था बल्कि पप्पू के ताऊ का लड़का वीरेन्द्र मुल्जिम था। रिषीपाल की हत्या का मुकदमा इस घटना में छूटा था। उसके कुल दो भाईयों का कत्ल हो चुका है। उसके भाई रिषीपाल व अशोक के अलावा गांव में कितनी कत्ल हो गये, उसे नहीं मालूम। उसके भाई गांव के औैर कत्लों में मुल्जिम नहीं रहे। दिनेश उसका भाई था, जो गांव के कत्लों में मुल्जिम था उसमें उसको आजीवन कारावास की सजा हुयी थी। मृतक अशोक न तो किसी मुकदमे का वादी था औैर न वादी की ओेर से गवाह था। मुल्जिमानों की रंजिश अशोक से केवल इतनी थी कि वो रिषीपाल व दिनेश का सगा भाई था और यही स्थिति उसकी भी थी। घटनास्थल पर घटना वाले दिन कोई हमला नहीं हुआ। जयपाल सिंह मुन्नू सिंह व मौहर सिंह पर किसी भी तरह का कोई मुकदमा नहीं लिखा गया था। मुन्नू के भाई रवेन्द्र को सजा हुई थी। यह सजा नरेश को गोली मारने को लेकर हुई थी। मुन्नू सिंह व होशियार सिंह का आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है। मौहर सिंह अथवा मोहर पाल अलग हैं। उसके मुकदमे के गवाह मौहर सिंह व मोहर पाल नहीं थे। वह साइकिल चला रहा था,वह साइकिल पर अकेला था और अशोक दूसरी साइकिल पर जयपाल के साथ बैठा था। उसको पता नहीं था कि अशोक की जान को खतरा है फिर भी अशोक को चार आदमी छोड़ने के लिए जैथरा आये थे फिर भी अशोक को बीच में लेकर चलते थे, दो आदमी अशोक के आगे चलते थे और दो आदमी अशोक के पीछे चलते थे घटना के दिन भी अशोक बीच में था। अशोक के आगे मुन्नू

और मौहर सिंह थे उनके पीछे अशोक व जयपाल थे और उसके पीछे वह था। उसकी एक टांग भरतपुर के रोड एक्सीडेंट में कट गयी। घटना के समय दिन निकल आया था। 200-400 गज दूर तक का दिखाई देता था। अशोक वाली साइकिल जयपाल चला रहा था फिर कहा कि उसे नहीं पता कि साइकिल कौन चला रहा था काफी पुरानी बात है। उसने मुल्जिमानों को सबसे पहले 10-15 गज की दूरी से देखा था। ये मुल्जिमान उससे पश्चिम तरफ थे। बनिया ढारा से जैथरा का रास्ता उत्तर से दक्षिण तरफ है। अशोक, जयपाल से सीधा हाथ पश्चिम की तरफ थे। उसने अपने भाई को ये आवाज नहीं लगाई कि भइया भागो दुश्मन आ गये हैं व उसके कुछ कहे बगैर मुल्जिम पंछी ने गोली मार दी सभी मुल्जिमानों ने चारों तरफ से अशोक को घेर लिया साइकिल गिर गयी थी और दोनों के गोली लग गयी। दोनों साइकिल से गिर गये। गोली लगते ही पक्की सड़क पर गिर गये। पहली गोली अशोक के कंधे में लगी थी देख नहीं पाया अशोक पेंट-शर्ट जूता पहने था। उसे नहीं पता कि पर्स रखता था लेकिन पैसे रखता था। वह अभी यह नहीं बता सकता कि अंगूठी और घड़ी घटना वाले दिन पहने था या नहीं। उसने अपनी साइकिल रोक ली और सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने लगा। उसके भाई की हत्या में 07 लोग शामिल थे। उसकी रंजिश मुल्जिमानों से थी और जितनी रंजिश उसके भाई अशोक से थी उतनी रंजिश मुल्जिमानों से उसकी भी थी। वह भी मौके पर था और इतनी रोशनी थी जिसमें उसने मुल्जिमानों को पहचाना उस पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ। मुल्जिमान सात लोग थे और पंछी ने उसके भाई पर फायर किया था जो लगा। जिस वक्त उसके भाई को गोली मारी गई। उस वक्त वह अपने भाई से दो या चार मीटर दूर था आम रास्ते पर था। उसके भाई को सबसे पहले पंछी ने गोली मारी। गोली लगी गोली लगने के बाद उसका भाई गिरा। वह सड़क से नीचे गिरा, फिर सातों लोग उसके भाई को खींचते हुए ले गये। जयपाल को छोड़ दिया उसको भी छोड़ दिया उसके भाई को गोली लगने

के बाद शरीर से खून निकल रहा होगा। उसके भाई को सड़क से 1000 या 1500 मीटर तक खींचते हुए ले गये। गर्मियों के दिन थे। जमीन पर कोई फसल नहीं थी गेहूं कट चुके थे। जिसको 1500 मीटर बताया है वह 1000 मीटर या 800 मीटर हो सकता है। वह अपने भाई के पीछे-पीछे बाग तक नहीं गया। जहां से उसके भाई को पकड़ा था वहां से वह भाग गया। वह सड़क से भागकर सीधे थाने गया। थाने पर जाकर बताया कि भाई को मार दिया। 10 या 5 मिनट तक वह सड़क पर खड़ा रहा।

प्रश्न- क्या आपने ऊपर जो बयान दिया कि आप अशोक के पकड़े जाने के बाद उसके पीछे नहीं गये?

उत्तर- जब उसके भाई को गोली मार दी तब वह बाग में गया तब मुल्जिमान भाग गये घटनास्थल उसके घर से 1000 किमी. या 800 किमी. है। फिर कहा किलोमीटर की जगह मीटर कह रहा था। उसने मुल्जिमानों को गोली मारते 800 मीटर दूर से देखा था। थाने से लौटकर रिपोर्ट लिखाने के बाद वह लाश को उठाकर वह गाँव ले आया और लाकर घर के सामने रख दिया। तहरीर में यह बात सही लिखी है कि लाश को उठाकर घर के पास सड़क पर रखी है। उसने आज बयान भी सही दिया है कि रिपोर्ट लिखाने के बाद लौटकर लाश को घटनास्थल से उठाकर घर के सामने लाकर रखा था। घटनास्थल से जैथरा पहुंचने में एक घंटा लग जाता है। लाश को देखने के तुरंत बाद वह जैथरा के लिए चल दिया था। रिपोर्ट उसने जैथरा थाने में लिखी थी। वह अपने घर से पौने छह, छह बजे करीब चला था। उसने पौने छह बजे वाली बात रिपोर्ट में नहीं लिखाई थी। घर से निकलने के सात-आठ मिनट बाद घटना हुई थी। उसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मुल्जिमान पूरब साइड में पतेल की आड़ में बैठे हुये थे। मुल्जिमान कहीं से भी दौड़ते हुये नहीं आये थे। वह पतेल की आड़ में बैठे थे। जैसे ही वे लोग पतेल के सामने पहुंचे मुल्जिमान बंदूक रायफल लेकर खड़े हो गये। मुल्जिमान कहीं से दौड़ते हुये

नहीं आये। गवाह ने रिपोर्ट में लिखा है कि दौड़ते हुए आये। आगे गवाह ने कहा है कि तेजी से चलते हुए आये। मुल्जिमान पूर्व दिशा से आये। अशोक को पश्चिम की ओर खींचकर ले गये। अशोक का कत्ल थानसिंह एवं रूप सिंह के बाग में हुआ था। वह बाग तक गया था। 100 मीटर पीछे रह गया था। बाग में 10-20 पेड़ छोटे-छोटे आम-गूलर आदि के थे। पकड़ने से लेकर गोली मारने तक 5-10 मिनट तक लगा होगा। अशोक को गोली सड़क पर लगी थी। सड़क पर अशोक को गोली किस जगह लगी, वह नहीं बता सकता। अशोक को सड़क पर गोली लगी थी तथा जयपाल को भी लगी थी। अशोक को पहली गोली किस जगह लगी वह देख नहीं पाया। जयपाल को गोली कहां लगी वह उसे नहीं देखा पाया। फिर कहा कि जयपाल के हाथ में गोली लगी थी। उसे इस समय ध्यान नहीं है कि रिपोर्ट में अशोक को सड़क पर गोली लगने वाली बात लिखी थी कि नहीं सड़क पर अशोक जिंदा था, उसे सड़क से खींचकर ले गए थे। घटनास्थल से उसके गांव साइकिल से जाने में 5-7 मिनट का समय लगता है। वह गोली लगने के बाद गांव नहीं गया, भैया के पीछे मतलब अशोक के पीछे भागा, मुल्जिमान घसीटते हुए ले जा रहे थे। वह पीछे-पीछे भागा। उस पर कोई फायर नहीं हुआ, मुल्जिमान 07 थे। अब मुल्जिम पंछी मर चुका है। पंछी गोली से मरा है, जिसमें मुल्जिमान दिनेश, होशियार एवं रामदीन के नाम मुकदमा चला। मुकदमे में क्या हुआ उसे नहीं पता। उसका भाई उससे अलग रहता था, उसके साथ नहीं रहता था। यह कहना सही है कि मुल्जिम दिनेश को पंछी के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुयी थी। मुल्जिमानों से उसके भाई अशोक को किसी ने बचाया नहीं। शोर मचाया लेकिन कोई नही आया। उसने घटना देखी थी। मुल्जिमान लाश छोड़कर चले गये थे। वे चार लोग वह, जयपाल, मोहर सिंह व मुन्नू लाश उठाकर ले आये। उसने रिपोर्ट में मोहर सिंह एवं मुन्नू सिंह का नाम लाश उठाने में लिखाया है कि नही उसे ध्यान नहीं है। मुन्नू एवं मोहर सिंह पर कोई फायर नहीं हुआ

था। पहला फायर सड़क पर पूरब तरफ से हुआ था। पहला फायर पूरब से पश्चिम की ओर से हुआ था। पंछी, अशोक तथा जयपाल के बीच 1-2 मीटर का फासला होगा। जैथरा दरियावगंज मार्ग जिस पर उसका गांव स्थित है, वह घटना के समय 300 मीटर चौड़ी रही होगी। डामर रोड थी, इस सड़क पर वे बीच में थे, दांये थे या बांये थे, उसे पता नहीं। जब उसने पहली बार मुल्जिम को देखा तब वे 50 गज की दूरी पर थे। सभी मुल्जिमान के हाथ में हथियार थे। मुल्जिमानों से उसकी दुश्मनी थी, वह साइकिल मारकर गांव की ओर नहीं भागा, क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिला। जयपाल साइकिल के कैरियर पर बैठा था,जयपाल का मुंह पूरब साइड में था। मृतक अशोक पैंट, शर्ट पहना था। पैरों में फीते बंधा जूता था। जैथरा से एटा बस से आते थे, किराये के लिए अशोक के जेब में पैसा जरूर रहा होगा। उसने जेब से कुछ नहीं निकाला, जब बाग में अशोक को मारा गया तब वह जमीन पर पड़ा था। सभी लोगों ने अशोक को गोली मारी थी। सभी लोग अशोक पर ताबड़तोड़ फायर किये। वह इतना जानता है कि सभी मुल्जिमान फायर किये, कौन कितना फायर किया वह नहीं बता सकता। सब खोखे मौके पर गिरे थे या नहीं वह नहीं देख पाया। जब लाश उठाकर लाये तो उसने खोखा नहीं देखा, क्योंकि उस समय यह सब नहीं देखा जाता। अशोक को गोली लगी थी, तब वह वहीं पर पेट के बल पड़ा था, गोली मारते उसने देखा था। चित्त मारा था, मारते हुए उसने नहीं देखा, जब 100 मीटर दौड़कर भागा तो पट पड़ा था। सभी मुल्जिमान घेरे हुए, खड़े थे तथा एक दो फिट पर थे। रायफल एवं बन्दूकों का नाल एक दो इंच की दूरी पर रहीं होगी। उसने अपने भाई की साइकिल नही उठायी थी, जब पुलिस आयी तो साइकिल ले गयी वह नहीं बता सकता। उसने मौके पर साइकिल नहीं देखी। साइकिल मौके पर उसकी थी, उसकी साइकिल कोई ले गया था लेकिन वह नहीं बता सकता कि कौन ले गया। लाश जब लेकर गया तो खून टपका था। दरोगाजी को खून दिखाया था। बाग जहाँ कत्ल हुआ था वह

लगभग 7-8 बीघे का होगा। कत्ल बाग के कोने पर हुआ, पूरब साइड के कोने पर हुआ था। मुल्जिमानों ने जैसे ही अपने बाग में पहुंचे वैसे ही गोली मारी। उसके भाई अशोक का हाथ पकड़कर खींचकर ले गये थे। पैरों में जूता बना रहा या उतर गया, उसे नहीं मालूम। उसके भाई अशोक की रंजिश मुल्जिमान के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं था। यही मुल्जिमान उसके बड़े भाई शिवपाल का कत्ल किये थे। उस मुकदमे में मुल्जिम छूट गये थे। उस मुकदमे में अशोक न तो गवाह था और न ही मुल्जिम था। अशोक पर कितने मुकदमे थे उसे जानकारी नहीं है। वह शुरू से ही भरतपुर राजस्थान में रहता है। वह भरतपुर में प्राइवेट काम करता था। सन 1993 से ही भरतपुर में रहता है। आयल मील में नौकरी करता था। वह परमानेन्ट नौकरी नहीं करता था। वह अभी तक भरतपुर में नौकरी कर रहा है। उसके बच्चे गांव में अलीगढ़ जिले में रहते हैं। वह अपने गांव हर महीने आता है। गांव में 4-6 दिन रहता था। घटना के दो दिन पहले से ही वह अपने गांव में आया था। वह भरतपुर में मील में लेबर का काम करता था। आज भी लेबर का काम करता है। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं था। अशोक ने पिन्टू पर चाकू से वार किया था, धारा 307 भा०द०स० का मुकदमा लिखा गया था कि नहीं उसे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि सूचना मिलने पर उसने भरतपुर से आकर एन्टीटाइम एफ०आई०आर० करायी थी। यह कहना गलत है कि उसने झूठी गवाही दी है।

15. अभियोजन द्वारा बतौर **साक्षी पी०डब्लू०-2 जयपाल सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना दिनांक 21-05-1993 समय करीब सुबह 06-00 बजे की थी। वह तथा अशोक, मोहर सिंह, मुन्नू व सतीश सभी लोग साइकिलों से एटा तारीख करने के लिए चले थे। वह व अशोक एक साइकिल पर थे। अशोक साइकिल चला रहा था, वह बैठा था। सतीश, मुन्नू अलग साइकिल पर थे। वे सब लोग कृपाल सिंह के

बाग के पास पहुंचे थे। पंछी ने आबाज मारी कि रूको लेकिन अशोक ने साइकिल नहीं रोकी। पंछी ने फायर मारा जो उसके बाजू में लगा था। साइकिल गिर गयी तथा वह भी गिर गया। अशोक साइकिल छोड़कर भाग गया। मुल्जिमान पश्चिम की ओर भाग गये। अशोक को मुल्जिमान खींचकर बाग में ले गये, जहां ताबड़तोड़ गोलियाँ चलायीं। अशोक की मौके पर मृत्यु हो गयी थी । उसकी लाश उठाकर अपने दरवाजे पर रख ली थी। फिर वह भी थाने गया था। सतीश ने रिपोर्ट लिखवायी। उसके गोली लगी थी, इसलिए उसे पुलिस वाले एटा जिला चिकित्सालय लाये थे,जहाँ पर उसका इलाज हुआ। घटना के सम्बन्ध में दरोगाजी ने उसका बयान लिया था,जिसमें उसने दरोगाजी को अपनी चोटें व घटना वाली जगह भी दिखायी थी।

16. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि घटना वाले दिन गांव से एटा आ रहा था। वे सभी लोग एटा आ रहे थे। अशोक का भाई दिनेश जेल में था। वकील साहब ने कुछ कागज मंगाये थे, इसलिए कागज लेकर 05 लोग एटा आ रहे थे। वे साइकिल से एटा आ रहे थे। उसके साइड से गोली आयी थी, जो उसे लगी थी। गोली लगने के बाद वह गिर गया और जहाँ उसके गोली लगी वहीं वह बैठ गया। मोहर सिंह, मुन्नू व सतीश से 4-6 कदम आगे थे। उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला। जे०पी० उर्फ जयपाल पुत्र रूप सिंह उसका ही नाम है। उसके खिलाफ 2021 में अलीगंज में पकड़ का मुकदमा हुआ था। वे थाने लगभग एक घण्टे बाद पहुंच गये थे। घटना की रिपोर्ट सतीश ने लिखायी थी। ग्राम बनियाढारा में लगभग 5-6 कत्ल हो गये हैं। यह कहना गलत है कि उसने कुछ न देखा हो और झूठी गवाही दे रहा हो।

17. अभियोजन द्वारा बतौर **साक्षी पी०डब्लू०-3 मुन्नू सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना दिनांक 21-05-93 को समय सुबह 6:00 बजे की है। अशोक, जयपाल, मोहर सिंह व सतीश,

वे सब लोग तीन साइकिलों से एटा तारीख करने के लिए अपने गांव से चले थे। वह व मोहर सिंह एक साइकिल पर थे। जयपाल व अशोक एक साइकिल पर थे। सतीश अपनी साइकिल पर थे, वह साइकिल चला रहा था। मोहर सिंह बैठा हुआ था, गांव से निकलते ही उसके ही गांव के पंछी, श्याम, मिंटू, दुर्विजय, विजयपाल, विश्वनाथ, पप्पू अपने हाथों में नाजायज बंदूक लिए हमारी तरफ दौड़ते हुए आए और अशोक की साइकिल रोकने को कहा, लेकिन अशोक ने साइकिल नहीं रोकी तभी पंछी ने अपनी नाजायज बंदूक से जयपाल व अशोक पर फायर किया जो कि जयपाल की बाजू में लगा और उसकी साइकिल गिर गई और अशोक को उपरोक्त सभी लोगों ने घेर लिया। वह व अशोक फिर भी जान बचाकर भागे तो यह लोग पीछे-पीछे भागने लगे और अशोक को पकड़ लिया और सड़क की ओर खींचकर ले गये। वे सभी लोग उपरोक्त मुल्जिमान से अशोक को बचाने के लिए भागे लेकिन उन पर अशोक को बचाने का कोई साधन नहीं था। उसके ऊपर मुल्जिमान फायरिंग कर रहे थे। उपरोक्त सभी अशोक को खींचकर बाग में ले गये और सब ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करके मुल्जिमान पश्चिम की तरफ भाग गये। वे लोग भागकर अशोक की तरफ पहुंचे तब तक अशोक की मृत्यु हो चुकी थी। बाग से लाश को उठाकर सड़क पर रख ली थी। सड़क से उन लोगों का घर भी पास था।

18. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि उसका नाम मुन्नू है। उसके नाम व बल्दियत का उसके गांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। उसके उपर 4-5 मुकदमे चले थे, इस घटना के बाद चले थे, सब फौजदारी के चले थे। एक मुकदमे में उसका समन हो चुका है। जिस मुकदमे में उसका समन हुआ था, उसमें चुटैल मिन्टू व नरेश थे। गोली मारने से उसका समन नही हुआ था। वह केवल इसी मुकदमे में गवाह है। इसके अलावा वह किसी मुकदमे में गवाह नहीं है। घटना वाले दिन उसके किसी मुकदमे में तारीख

नहीं थी। वह अपने भाई रवेन्द्र से मिलाई करने आ रहा था। हत्या के मुकदमे में उसका भाई रवेन्द्र जेल में बन्द था। वह यह जानता है कि अदालत आकर तारीख करने में और जेल जाकर मिलाई करने में अन्तर है। घटना वाले दिन उसके भाई रवेन्द्र की तारीख थी। उसका भाई रवेन्द्र, वीरेन्द्र के कत्ल में जेल में बन्द था। वीरेन्द्र के कत्ल में दिनेश और रवेन्द्र मुल्जिम थे। अशोक का भाई दिनेश भी जेल में था। अशोक, दिनेश से मिलने के लिए एटा आ रहा था। वे सभी लोग सतीश, अशोक, जयपाल, मोहर सिंह व वह स्वंय एटा आ रहे थे। उनमें से किसी की भी एटा में तारीख नहीं थी, बल्कि वे सभी लोग रवेन्द्र व दिनेश से मिलने एटा आ रहे थे। वीरेन्द्र के पिता का नाम मान सिंह था, अशोक के भाई रिषी का पहले मर्डर कर दिया था। रिषी के कत्ल में कौन-कौन मुल्जिम थे, उसे नहीं पता लेकिन यह पता था कि ये ही मुल्जिम थे। रिषी का कत्ल का मुकदमा छूट गया। इस मुकदमें की फाइल ही गायब करा दी। उसे नहीं पता कि रिषी का मुकदमा कब छूटा। रिषी का मुकदमा अशोक के कत्ल से पहले छूट चुका था। उसके गाँव में पांच-छह कत्ल हो चुके हैं। उन्हें पता था कि उनके गांव में उनकी पुरानी दुश्मनी थी। वह तथा जयपाल, सतीश, अशोक, मोहर सिंह एक पार्टी के आदमी हैं। मुल्जिम दूसरी पार्टी के आदमी हैं। मुल्जिमानों में पंछी का कत्ल हो चुका है। वे लोग तीन साइकिलों पर सवार थे। वह और मौहर सिंह एक साइकिल पर सवार थे। साइकिलों का आपस में 10-10 कदम का फासला था। सबसे आगे अशोक व जयपाल चल रहे थे। सतीश अकेले साइकिल पर चल रहा था। वह उनके 20 कदम पीछे चल रहा था। मुल्जिम अचानक बाग से निकले थे। मुल्जिम पूरब दिशा से निकले थे। सबसे पहले मुल्जिमान को उसने 4-5 कदम की दूरी से देखा था। मुल्जिमान उससे पूरब की तरफ थे। अशोक उससे 20 कदम आगे दक्षिण की तरफ था। मुल्जिमानों को देखकर अपनी साइकिल नहीं रोकी। अशोक की साइकिल चल रही थी। अशोक मुल्जिमानों को देख नहीं पाया था।

उसे याद नहीं है कि साइकिल अशोक चला रहा था या जयपाल चला रहा था। अशोक की साइकिल पर जो बैठा था वह कैरियर पर बैठा था, जो साइकिल पर बैठा हुआ था। उसका मुंह पूरब की तरफ था। जहाँ से उसने देखा वहीं मुल्जिमानों ने अशोक को मारा सबके हाथ में नाजायज हथियार थे सबने फायर किये थे।

- प्रश्न-1 क्या सभी मुल्जिमानों ने अशोक को घेरकर गोलियां मारी थी?
- उत्तर- सभी मुल्जिमानों ने बाग में घेरकर गोली मारी।
- प्रश्न-2 सभी मुल्जिमानों ने कितने-कितने फायर किये?
- उत्तर- ये नहीं बता सकता कि मुल्जिमानों ने कितनी-कितनी गोलियां मारीं। दो मिनट में सब काम हो गया था। जब मुल्जिमानों को देखा तब उसने साइकिल रोक दी।
- प्रश्न-3 क्या जब अशोक की हत्या हुयी, तब तक साइकिल रोके खड़े रहे?
- उत्तर- नहीं, जब वह मारकर भाग गये, तब वे सभी अशोक को उठाकर लाये।

जहां अशोक की हत्या हुयी थी, वहीं से 20-25 कदम दूरी पर वह खड़ा था। उसके पूरब तरफ हत्या हुयी। बाग आम का था। कुल 10-12 पेड़ थे। अशोक को पकड़कर ले गये थे और बाग में ले जाकर मारा था। जयपाल उससे 8-10 कदम दूर गिरा था। दिशाएं नहीं जानता। जयपाल बीच सड़क पर गिरा था। जयपाल पर केवल एक गोली चलाई गयी थी। सब मुल्जिमानों पर नाजायज बंदूक व रायफल थे, उसने नहीं देखा था कि किसके पास रायफल थी और किसके पास बंदूक थी। वह अपने घर से चलकर अशोक के घर पर आ गया। आगे कहा कि अशोक पांच मिनट पहले निकल गया था। वह अशोक के घर अकेला आया। मोहर सिंह तैयार खड़े थे उसका इंतजार कर रहे थे। मौहर सिंह से उसने कहा कि एटा चलना है, मोहर सिंह उसकी साइकिल पर बैठ गया।

पहले से ये सब प्रोग्राम था कि एटा चलना है। अशोक उसका इंतजार कर रहे थे। अशोक अपने घर से दस कदम की दूरी पर खड़ा था, जैसे ही वह अशोक के घर गया वैसे ही उसने देखा कि अशोक उसका इंतजार कर रहा व खड़ा है। वह पूरी घटना के दौरान सड़क पर खड़ा था। मोहर सिंह भी सड़क पर खड़ा रहा और सतीश भी सड़क पर खड़ा रहा। जब मुल्जिमान भाग गये तब वे लाश के पास गये। लाश को वे बाग से सड़क पर ले आये, फिर लाश को उठाकर घर ले गये। मुल्जिमान, अशोक का कत्ल करके पूरब से पश्चिम तरफ गये। अशोक का कत्ल करके भागने तक वे वहाँ खड़े रहे फिर भी उन पर कोई फायरिंग नहीं हुयी। अशोक की लाश मौके पर 10-15 मिनट पड़ी रही। एकदम लाश को सड़क पर ले आये। लाश को घर पर छोड़कर वे लोग रिपोर्ट लिखाने चले गये। हमने घटना वाले दिन 7-15 बजे रिपोर्ट लिखा दी थी। वे लोग थाने सुबह 7,7-15 बजे पहुंच गये थे। मोहर सिंह जो उसके साथ साइकिल से आया था, उसके नाती का नाम रिषीपाल था। रिषीपाल का कत्ल हुआ था।कत्ल की रिपोर्ट इन्हीं मुल्जिमानों के खिलाफ हुयी। उसे नहीं पता कि रिषीपाल की हत्या की रिपोर्ट किसने लिखायी थी। यह उसे पता है कि कत्ल का मुकदमा छूट गया है। 7-15 बजे रिपोर्ट लिखाने के 15-20 मिनट बाद मौके पर पुलिस के साथ आ गये, पुलिस वाले भी लाश के पास गये। लाश को सड़क पर गांव में घर पर सील किया। लाश गांव से पोस्टमार्टम के लिये भेजी गयी। अशोक घटना के समय पेंट-शर्ट पहना था। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं था और उसने घटना नहीं देखी है। यह भी कहना गलत है कि झूठा बयान दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि वह जैसी घटना बता रहा है। वैसी कोई घटना नहीं हुयी है।

19. अभियोजन द्वारा बतौर **साक्षी पी०डब्लू०-4 सेवानिवृत्त निरीक्षक इन्द्रेश कुमार भदौरिया** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "वह दिनांक 12.02.2014 को थाना जैथरा पर बतौर थानाध्यक्ष

के पद पर तैनात था। इस दिनांक से पहले न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा ने आदेश पारित किया था कि मय एस०एस०पी० के पृष्ठांकन आदेश के मु०अ०सं० 116/1193 धारा 147, 148, 149,307,302 भा०द०सं० का ड्युप्लीकेट आरोप पत्र एवं अन्य कागजात जो भी थाने पर मौजूद हों अपनी आख्या सहित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा को तत्काल भेजे जायें। इस पर उसके द्वारा थाना जैथरा के सम्पूर्ण रिकॉर्ड एवं पुलिस ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में मुकदमा उपरोक्त की ड्युप्लीकेट आरोप पत्र एवं अन्य कागजात तलाश किये गये तो उपलब्ध नहीं हो सके। इसके बाद पुनः न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा का आदेश मय एस०एस०पी० के पृष्ठांकन आदेश प्राप्त हुआ कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित जो भी रिकॉर्ड थाने पर उपलब्ध हो प्रेषित किया जाये, तब उसने दिनांक 12.02.2014 को थाना हाजा पर उपलब्ध ग्राम बनियाढारा का रजिस्टर नं० 8 तथा रजिस्टर नं० 04 में उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक मु०अ०सं० 116/1993 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भा०दं०सं० थाना जैथरा जिला एटा का सम्पूर्ण उद्धरण जिसमें चिक सं० 101/1993 मु०अ०सं० 116/1993 धारा 147, 148, 149, 307, 302 भा०द०स० दिनांक घटना 21.05. 1993 समय 06.00 बजे सुबह दिनांक सूचना 21.05.1993 समय 07.40 ए०एम० घटना स्थल बाग कृपाल सिंह बहद ग्राम बनियाढारा वादी श्री सतीश कुमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बनियाढ़ारा थाना जैथरा जिला एटा नाम पता अभियुक्तगण पंछी पुत्र रूप सिंह ठाकुर, मिन्टू पुत्र रूप सिंह, दुर्विजय सिंह पुत्र किशनू, विजयपाल उर्फ बृजपाल पुत्र हेत सिंह, श्याम पुत्र पृथ्वी सिंह, विश्वनाथ पुत्र हेत सिंह, पप्पू उर्फ कुसुम कुमार पुत्र सूरजपाल निवासीगण बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा जिसका मृतक अशोक पुत्र रघुवीर सिंह ठाकुर निवासी बनियाढारा, थाना जैथरा जिला एटा, घायल जयपाल पुत्र जगजीत निवासी बनियाढारा, थाना जैथरा जिसमें विवेचना के परिणाम में अभियुक्त नामित एफ०आई०आर० विश्वनाथ पुत्र हेत

सिंह की नामजदगी झूठी पाया जाना लिखा है। उक्त अभियोग में दिनांक 19.08.1993 को एस०आई०एस० एटा द्वारा अभियुक्तगण पंछी, मिन्टू, दुर्विजय, श्याम, विजयपाल, पप्पू उर्फ कुसुम कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 133/1993 न्यायालय प्रेषित किया जाना लिखा है। उक्त रिकॉर्ड की समरी उसके द्वारा दिनांक 11.02.2014 को तैयार की गई तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के माध्यम से न्यायालय सी०जे०एम० एटा प्रेषित की गई, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। अभियुक्त पंछी की मृत्यु दिनांक 16.12.2016 को होना अलग से लिखा है। उक्त रिकॉर्ड के मुताबिक मुकदमा उपरोक्त एफ०आई०आर० में नामित श्याम पुत्र पृथ्वी सिंह गिरफ्तार हुआ था तथा शेष अभियुक्तगण न्यायालय में आत्मसमर्पण किये थे। आरोप पत्र पत्रावली पर मौजूद कागज स० 44अ उद्धरण के रूप में उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मा०न्यायालय के आदेशानुसार थाना जैथरा से रजिस्टर नं. 4 एवं 8 मौजूद हैं। रजिस्टर नं.4 के क्रम सं. 116/93 की प्रविष्टि है, जिसके अनुसार उसने उक्त अभियोग का उद्धरण तैयार किया जिसको न्यायालय में पेपर नं. 44 अ के रूप में दाखिल किया था। इसी प्रकार थाना जैथरा के रजिस्टर नं. 8 में वर्ष 1993 में अपराध सं. 116/93 धारा 147, 148, 149, 302, 307 भा०द०स० बनाम पंक्षी आदि दर्ज है। इसका भी उद्दरण उसने तैयार किया था जो कागज सं. 44अ पर मौजूद है। मा० न्यायालय के आदेश से थाना जैथरा से नं० 4 व 8 रजिस्टर पूर्व में न्यायालय में तलब किया गया था। रजिस्टर नं० 4 में अपराध संख्या-116/93 की प्रविष्टि थी, जिसके अनुसार उसने अभियोग का उद्धरण तैयार किया। रजिस्टर संख्या-08 में वर्ष 1993 में अपराध संख्या-116/93 धारा 147, 148, 149, 302, 307 भा०द०स० बनाम पंछी आदि दर्ज था। इसका उद्धरण उसने तैयार किया था जो पत्रावली पर कागज संख्या-44अ उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया।

20. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि वर्ष 1993 की प्रविष्टि उसके सामने नहीं हुई है। प्रविष्टि सही है या गलत व्यक्तिगत रूप से नहीं बता सकता। उसको इस पूरे मुकदमे की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। उसने जो भी बयान दिया है वो मात्र अभिलेखों के आधार पर दिया है जो उसके सामने तैयार नहीं हुआ है। उसकी जिले में पोस्टिंग वर्ष 2007 से 2015 तक रही। मु०अ०सं० 116/93 उसकी पोस्टिंग से पूर्व का मुकदमा है। इस मुकदमे के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि वह झूठा बयान दे रहो है।

21. अभियोजन द्वारा बतौर **साक्षी पी०डब्लू०-5 चीफ फार्मासिस्ट सुबोध मिश्रा** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 22.05.1993 को मृतक अशोक कुमार पुत्र रघुवीर सिंह ठाकुर निवासी बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा का पोस्टमार्टम डॉक्टर पी. के. जैन द्वारा किया गया था। डॉक्टर पी. के. जैन उसके साथ रहे हैं एवं वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानाता है। डॉक्टर पी. के. जैन की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 45अ/1 लगायत 45अ/2 पी.एम.आर. रिपोर्ट की छायाप्रति डॉक्टर पी.के.जैन के लेख व हस्ताक्षर में है। जिसमें डॉक्टर पी. के. जैन के हस्ताक्षर हैं, जो चीफ, मेडिकल सुपरडेंट जिला अस्पताल एटा द्वारा प्रमाणित है एवं मोहर लगी हुई है। आज न्यायालय के समक्ष मूल रजिस्टर लेकर आया है। जिसमें 195/93 के पृष्ठ पर मृतक का नाम पता एवं बरामद शुदा कपड़े अंकित है। जिस पर डॉक्टर पी. के. जैन के हस्ताक्षर हैं एवं जिला अस्पताल की मोहर लगी हुई है। जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल कर रहा है। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 45 अ/1 लगायत 45 अ/2 पी.एम. आर. रिपोर्ट पर प्रदर्श क 2 डाला गया।

22. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि उसकी उम्र 52 वर्ष है। उसकी नौकरी एटा जिला में वर्ष 1997 में फार्मासिस्ट के पद पर लगी थी।

यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी नौकरी लगने के चार वर्ष पूर्व का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है वह नहीं पढ़ सकता। गवाह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर कहा कि इसमें क्या लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। उसे नहीं पता कि डॉक्टर पी. के. जैन कब तक एटा अस्पताल में कार्यरत रहे। वह उनके कार्यालय में कभी भी कार्यरत नहीं रहा। डॉक्टर पी. के. जैन डिप्टी सी.एम.ओ. थे, इसलिए वह पर्चा भी नहीं लिखते थे। वह अपने ऑफीशियल काम से उनके पास जाया करता था। वे लोग सामने खड़े होकर हस्ताक्षर कराते थे। वह आज एक भी कागज पेश नहीं कर सकता है, जो उसके सामने डॉक्टर पी. के. जैन ने लिखा हो या हस्ताक्षर किया हो। आज वह अपने साथ रजिस्टर लेकर आया है। उसमें व्यक्ति से संबंधित पुलिस के द्वारा लायी गयी वस्तुओं का उल्लेख होता है। यह कहना सही है कि उस रजिस्टर में पहले मृतक के गाँव का नाम मडिया दारा लिखा था जिसको काटकर बनियादारा किया गया। इस कटिंग पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है। ये कपडे व गत्ता टिक्की छर्रे पुलिसवालों को प्राप्त करा दिये थे। पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कपडों के विवरण में मौजे अंकित नहीं है जबकि जो रजिस्टर वह लाया है। उसमें मौजे भी अंकित है। यह कहना सही है कि मडिया काटकर जो बनिया लिखा गया है वो अलग पेन्सिल से, अलग हस्तलेख में, अलग स्याही में अंकित है। यह कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में गलत तरीके से डॉक्टर साहब के हस्तलेख व हस्ताक्षर के बारे में बयान दे रहा है।

23. अभियोजन द्वारा बतौर **साक्षी पी०डब्लू०-6 चीफ फार्मासिस्ट विपिन कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 21.05.1993 को मजरूब जयपाल सिंह पुत्र जंगपाल सिंह निवासी बनिया डारा थाना जैथरा जिला एटा का मेडिकल प्राथमिक स्वा० केन्द्र जैथरा पर डॉक्टर बी. सागर के द्वारा किया गया। डॉ०बी.सागर बुजुर्ग हैं, बीमार रहते

हैं आने जाने में असमर्थ हैं। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 46अ/2 मेडिकल रिपोर्ट की कार्बन प्रति डॉ०बी.सागर के लेख व हस्ताक्षर में हैं, जो मेडिकल अधिकारी जैथरा द्वारा प्रमाणित है। जिस पर मजरूब का निशानी अंगूठा लगा है। जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। आज न्यायालय के समक्ष मेडिकल लीगल का मूल रजिस्टर लेकर आया है। रजिस्टर की क्रमांक संख्या 95 पर मजरूब जयपाल सिंह की मेडिकल रिपोर्ट की कार्बन प्रति मौजूद है। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 46अ/1 मजरूब जयपाल सिंह पुत्र जंगपाल सिंह के रेफरेंस लेटर की कार्बन प्रति जो डॉ०बी.सागर के लेख एवं हस्ताक्षर में है एवं मेडिकल अधिकारी द्वारा प्रमाणित है, जिसपर मजरूब का निशानी अंगूठा लगा है। जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया है। रेफरेंस लेटर की कार्बन प्रति आज वह न्यायालय के समक्ष लेकर आया है,जो मूल रजिस्टर में मेडिकल रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

24. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि वह वर्ष 1997 से सर्विस में है। ये इंजरी रिपोर्ट उसके सामने तैयार नहीं हुई। डॉक्टर बी० सागर उसके साथ कभी भी तैनात नहीं रहे। वह उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को नहीं पहचानता है। डॉक्टर बी०सागर आजकल कहाँ हैं, उसे नहीं पता। उसे नहीं पता कि डा.बी.सागर बीमार हैं या बुजुर्ग हैं या आने जाने में असमर्थ है। उसे यह भी नहीं पता कि जो रजिस्टर वह लेकर आया है, उसमें कागज सं. 46अ/1 व 46अ/2 सही है या गलत है। यह कहना गलत है कि वह गलत बयान दे रहा है।

25. अभियोजन द्वारा बतौर **साक्षी पी०डब्लू०-7 एच०सी० 469 कैलाश कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "वर्ष 2013 से वह एटा जनपद में विभिन्न न्यायालयों में कोर्ट मोहर्रर के पद पर तैनात रहा है तथा 2017 से विभिन्न थानों में पैरोकार के पद पर कार्यरत है। उसने एच.एम.30 रामनरेश को एटा न्यायालयों में आते जाते देखा है। वह

उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। मुकदमा अपराध संख्या-116/93 धारा 147, 148, 149, 302, 307 भा०द०स० बनाम मिंटू आदि थाना जैथरा की चिक एफ.आई.आर. एच.एम. रामनरेश द्वारा शब्द व शब्द अंकित की गयी थी। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या-32अ चिक एफ.आई.आर.एच.एम. रामनरेश के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह शिनाख्त करता है। पैरोकार द्वारा काफी ढूँढने के प्रयास के बाद नही मिले। पत्रावली पर मौजूद चिक एफ.आई.आर. पर प्रदर्श क-5 डाला गया।

26. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि मुकदमा पंजीकृत करते समय वह थाने पर तैनात नही था। उसे इस मुकदमे की कोई व्यक्तिगत जानकारी नही है। इस मुकदमे की चिक.एफ.आई.आर. का प्रथम पृष्ठ अपठनीय है। इस मुकदमे की मूल तहरीर पर घटना की तारीख अंकित नही है लेकिन तहरीर देने की तारीख अंकित है। यह कहना गलत है कि वह आज प्रशासन के दबाव में बयान दे रहा है।

27. साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को पूर्णतया गलत बताया है तथा अपराध कारित करने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। अभियुक्तगण ने पी०डब्लू०-1 के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि यह साक्ष्य पूर्ण रूप से गलत है और साक्षी ने झूठा साक्ष्य दिया है। इसी प्रकार, पी०डब्लू०-2, पी०डब्लू०-3, पी०डब्लू०-5 व पी०डब्लू०-6 के साक्ष्य के सम्बन्ध में भी अभियुक्तगण ने कथन किया है कि यह सब गलत है और झूठा साक्ष्य दिया गया है, जिसका मुख्य कारण गांव की पूर्व पार्टीबंदी और रंजिश है। पी०डब्लू०-4 के साक्ष्य के सम्बन्ध में अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रशासनिक व राजनैतिक दबाव के कारण गलत विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण का यह भी कथन है कि यह मुकदमा केवल गांव की पार्टीबंदी और विद्वेष के कारण चलाया गया है। अंत में

अभियुक्तगण ने स्वयं को पूर्णतः निर्दोष बताया है और यह तर्क किया है कि उन्हें गांव की पार्टीबंदी व राजनैतिक विद्वेष के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जिसके लिए वे सफाई साक्ष्य देना चाहते हैं।

28. बचाव पक्ष की ओर से डी०डब्लू-1 के रूप में हेड कॉ० 376 अजब सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि" अशोक पुत्र रघुवीर के खिलाफ जैथरा थाने के रजिस्टर नं 8 जो ग्राम बनिया ढ़ारा से संबंधित है के अनुसार पांच मुकदमे दर्ज थे। अपराध संख्या 167/91 धारा-147,148,149,307 भा०द०स० है जिसमें सह-अभियुक्तों को सजा हुई। अपराध संख्या 149/90 धारा-147, 148, 149,307 भा०द०स०है। अपराध संख्या 87/88 धारा-308 भा०द०स०है। अपराध संख्या 154/84 धारा-435 भा०द०स० है। एक मुकदमा वर्ष 1981 में भी अशोक के विरूद्ध लिखा गया था लेकिन रजिस्टर नं 8 का पृष्ठ फटा होने के कारण वह ज्यादा तथ्य बताने की स्थिति में नहीं है। रजिस्टर नं 8 के पेज फटे हुए हैं तथा आधे से ज्यादा पेज फटा हुआ है। रजिस्टर नं 8 के अनुसार सतीश कुमार पुत्र रघुवीर ने दो मुकदमे पंजीकृत कराये थे जिसमें एक मुकदमा वर्ष 1988 का तथा एक 1993 का है। रजिस्टर नं 8 के अवलोकन से मुन्नू सिंह के खिलाफ वर्ष 1995 में हत्या का एक मुकदमा दर्ज था और इसी मुकदमे में वादी सतीश का भाई दिनेश भी मुल्जिम है। वर्ष 1997 में भी मुन्नू सिंह के खिलाफ 307 भा०द०स०का एक मुकदमा कायम हुआ था। दिनेश पुत्र रघुवीर जो सतीश पुत्र रघुवीर का सगा भाई है, की सजा धारा 302 भा०द०स०में वर्ष 2002 में हुई थी। मुन्नू पुत्र सूरज सिंह के खिलाफ 110 दं०प्र०स० की कार्यवाही 2000 में हुई थी। वादी सतीश का भाई एक हिस्ट्रीशीटर बदमाश है जिसकी हिस्ट्रीशीट नं 126A है।

29. अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि अपराध संख्या 167/91 में रजिस्टर नं 8 के अनुसार मुन्नू पुत्र रूप सिंह उपरोक्त मुकदमे में

मुल्जिम नहीं है। नरेश सिंह पुत्र हेत सिंह निवासी बनिया द्वारा वादी है। रजिस्टर नं 8 में उक्त मुकदमे में सजा हुई है माननीय उच्च न्यायालय में क्या हुआ वह नहीं बता सकता। उक्त मुकदमे में रविन्द्र, कल्लू, होशियार व नन्हे को सजा हुई थी। अशोक की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसे यह जानकारी नहीं है कि हिस्ट्रीशीट खोलने के बाद अशोक के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। अपराध संख्या 87/88 में रजिस्टर के अनुसार आरोप पत्र प्रेषित है इसमें क्या हुआ इसके बारे में रजिस्टर नं 8 में अंकित नहीं है। अपराध संख्या 154/84 धारा-435 भा०द०स० का मुकदमा लिखा गया था इस मुकदमे में क्या हुआ इसके बारे में भी रजिस्टर में उल्लेख नहीं है क्योंकि पृष्ठ फटा हुआ है। वादी सतीश ने अपराध संख्या 116/93 धारा- 147, 148, 149,302,307 भा०द०स० कायम कराया था उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्त पंछी, मिंटू, दुर्विजय, विजयपाल, श्याम, विश्वनाथ, पप्पू उर्फ कुसुम कुमार के खिलाफ कायम कराया गया था, बाद विवेचना विश्वनाथ की नामजदगी गलत पाई थी व अन्य पाँच आदमियों के खिलाफ दिनांक 19/08/93 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अपराध संख्या 57/1995 धारा-364,302,201 भा०द०स० इसका वादी कप्तान सिंह पुत्र अमर सिंह ठाकुर निवासी नवगवाँ थाना पटियाली था इसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उसे इस बात की जानकारी नहीं कि उक्त मुकदमे में अभियुक्त को सजा हुई या छूट गया। उसे यह जानकारी नहीं है कि दिनेश का इस मुकदमे से कोई संबंध है या नहीं। उसे नहीं मालूम की दिनेश इस मुकदमे में गवाह है या नहीं। सतीश की रजिस्टर नं०- 8 के अनुसार वर्तमान में कोई हिस्ट्रीशीट नहीं है। वर्तमान में गवाह जयपाल की किसी प्रकार की कोई हिस्ट्रीशीट नहीं है। मुन्नू सिंह के खिलाफ 110G की रिपोर्ट चालानी गई थी इसका कोई रिकार्ड उसके पास नहीं है। वादी का भाई दिनेश है जिसका इस मुकदमे से कोई संबंध है या नहीं उसे इसकी जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ जो हिस्ट्रीशीट खोली जाती है वह मुकदमे

के आधार पर खोली जाती है। वर्ष 1997 के बाद से आज तक सतीश व मुन्नू का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। रजिस्टर नं 8 में अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी बनिया द्वारा की हिस्ट्रीशीट संख्या 28A के अनुसार निम्न कुल 10 मुकदमे दर्ज है-अपराध संख्या-48/91 धारा-147, 148, 149,307 भा०द०स०, अपराध संख्या 96/91 धारा-147, 148, 149, 307 भा० द० स०,अपराध संख्या 42/91 धारा-147, 148, 149, 307 भा०द०स०,अपराध संख्या 113/91 धारा-307 भा०द०स०, अपराध संख्या 151/91 धारा-2/3 गैंगस्टर, अपराध संख्या 116/93 धारा-147, 148, 149, 307 भा०द०स०,अपराध संख्या 118/93 धारा 307 भा०द०स०, अपराध संख्या 119/93 धारा-25 आयुध अधिनियम,अपराध संख्या 80/96 धारा-2/3 गैंगस्टर, अपराध संख्या 167/96 धारा-3 उप्र. गुंडा। उपरोक्त मुकदमों के आधार पर उसकी हिस्ट्रीशीट खोली गई है। उक्त सभी मुकदमे जैथरा थाने के थे। जो भी मुकदमे थाने पर पंजीकृत होते हैं, उनमें सजा या दोषमुक्त का विवरण माननीय न्यायालय से प्राप्त होता है। मुन्नु, अशोक व सतीश के खिलाफ एक मुकदमे के अलावा अन्य किसी मुकदमे में सजा का विवरण नहीं है। मुन्नू की 1997 से 2016 तक रजिस्टर के अनुसार न कोई मुकदमा है न कोई हिस्ट्रीशीट है। यह कहना सही है कि जयपाल के खिलाफ कोई हिस्ट्रीशीट नहीं है और न ही कोई मुकदमा पंजीकृत है। पंछी की कोई हिस्ट्रीशीट नहीं है लेकिन उसके खिलाफ अपराध संख्या 14/90 धारा-324 भा०द०स० तथा अपराध संख्या 63A धारा-436 भा०द०स०, अपराध संख्या 113/90 धारा-307 भा०द०स०, अपराध संख्या 42/91 धारा-147, 353, 323, 504 भा०द०स० विरूद्ध बृजपाल, रामपाल, राजकुमार, विश्वनाथ, श्याम सिंह, पंछी, हरिनाथ, नरेश व अपराध संख्या 48/91 धारा-147, 148, 149, 307 भा०द०स०, अपराध संख्या 119/93 धारा-25 आयुध अधिनियम व अपराध संख्या 259/96 धारा-364A भा०द०स० विरूद्ध रमेश, मिंट्टू, पंछी व

अपराध संख्या 69/99 धारा-3 उ.प्र. गुंडा है सभी मुकदमे थाना जैथरा में पंजीकृत है। मिंटू उर्फ सुधीर पुत्र रूप सिंह के खिलाफ अपराध संख्या 63A/90 धारा-436 भा०द०स०, अपराध संख्या 132/90 धारा-147, 148, 149, 307, 364 भा०द०स० विरूद्ध गीतम, मिंटू, रमेश, हरिनाथ पुत्रगण रूप सिंह व नरेश, विजयपाल पुत्रगण हेत सिंह व वीरेन्द्र पुत्र भारत सिंह व दुर्विजय पुत्र किशनपाल, अपराध संख्या 116/93 धारा-147, 148, 149, 307 भा०द०स०, अपराध संख्या 194/94 धारा-457,380 भा०द०स०, अपराध संख्या 259/96 धारा-364A भा०द०स०, अपराध संख्या 68/99 धारा-3 उप्र गुंडा, अपराध संख्या 20/2000 धारा-110G CrPC. रजिस्टर नं 8 थाने पर मौजूद रहता है,जो भी मुकदमे पंजीकृत होते हैं ग्राम वाइस रजिस्टर नं 8 में अंकित किए जाते है। बृजपाल पुत्र हेत सिंह के खिलाफ अपराध संख्या 42/91 धारा-147, 353, 323, 504 भा०द०स० विरूद्ध बृजपाल, रामपाल, राजकुमार, विश्वनाथ, श्याम सिंह, पंछी, हरिनाथ, नरेश व अपराध संख्या 48/91 धारा-147, 148, 149, 307 भा०द०स० के मुकदमे पंजीकृत हैं। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा बिना किसी आपराधिक विवरण के उपरोक्त लोगों की हिस्ट्रीशीटर बना दी हो। यह कहना सही है कि न्यायालय से सजा के संबंध में कोई रिकार्ड रजिस्टर पर मौजूद नहीं है।

30. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्षियों (पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 एवं पी०डब्लू०-3) के साक्ष्य अत्यंत सुसंगत, विश्वसनीय और सुदृढ़ हैं। घटना का हेतुक पूर्व रंजिश बताया गया है जो कि साक्षियों के कथन से सिद्ध होता है।

31. अभियोजन का यह भी तर्क है कि चिकित्सकीय साक्ष्य पूरी तरह से चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का समर्थन करता है। **Fahad v. State of U. P. 2018 (6)** ALJ **737**, में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से

कहा गया है कि "Medico legal report assists Court in formulating opinion in regard to manner in which incident might have taken place and what penal provision to invoke. It can either endorse incident as given by eye-witnesses or can disprove incident to great extent." तदनुसार, प्रस्तुत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोट परीक्षण रिपोर्ट चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को प्रमाणित करते हैं। जहाँ तक हेतुक का प्रश्न है, अभियोजन का तर्क है कि यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य विश्वसनीय है, तो हेतुक को साबित न कर पाना अभियोजन के कथानक को क्षीण नहीं करता है। **Makkhan v. State of U.P. 2018 (3) ALJ 769**, में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "Motive is not considered as sine qua non for commission of crime and failure to prove motive shall not be fatal to case of prosecution, especially when other reliable evidence is available on record." इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क दिया गया कि सभी अभियुक्तों का सामान्य उद्देश्य था और उन्होंने मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया। **Sangram Singh v. State of U. P. 2018 (6) ALJ 753**, में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि "When all members of assembly know about offence likely to be committed, they are not required to do some overt act when assembled together and mere presence of such persons in unlawful assembly shall attract vicarious liability under S. 149." अभियोजन द्वारा दंडादेश की नीति (Sentencing Policy) के संबंध में **State of M.P v. Saleem alias Chamaru and another AIR 2005 SC 3996**, का संदर्भ देते हुए तर्क दिया गया कि "Sentence imposed should respond to society's cry for justice against criminal. Liberal attitude by imposing meagre sentence

would be counter procedure." अतः,सभी अभियुक्तों को दोष सिद्ध कर कठोर दंडादेश से दंडित किया जाना विधिक रूप से उचित है।

32. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में यह कथन किया गया कि अभियोजन का सम्पूर्ण कथानक मनगढ़ंत और झूठा है। वादी और साक्षियों का आपराधिक इतिहास रहा है, जिसे डी०डब्लू०-1 के साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में अनेक विरोधाभास हैं जो उनकी सत्यता को संदेहास्पद बनाते हैं। वादी पक्ष का दावा है कि 21.05.1993 को मृतक अशोक और अन्य गवाह एटा न्यायालय में तारीख पर जा रहे थे, जबकि उस दिन उनकी किसी मुकदमे में कोई तारीख नहीं थी। मृतक अशोक का एक पैर 19 वर्ष पूर्व ट्रेन दुर्घटना में कट चुका था और वह बैसाखी से चलता था, अतः उसका साइकिल चलाना पूरी तरह से असंभव था। गवाहों के अनुसार मुख्य अभियुक्त पंछी ने सामने से अशोक पर गोली चलाई, लेकिन गोली अशोक को न लगकर पीछे बैठे जयपाल को लग गई, जो कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। मुल्जिमों को पुरानी दुश्मनी के कारण फंसाया गया है। वादी पक्ष के लोगों ने 1999 में अभियुक्त मिन्टू के भाई पंछी की हत्या की थी, जिसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। वादी सतीश ने 800 मीटर की दूरी से आम के बाग में घटना देखने की बात कही है, जो सुबह 6 बजे संभव नहीं है। मृतक को अभियुक्तगण द्वारा घसीटते हुये, बाग में ले जाकर मारने का कथन अभियोजन की ओर से कहा गया है किन्तु घटना के समय खेत में गेंहूँ की फसल कट चुकी थी, गेंहूँ कटे हुये खेत से मृतक को घसीटकर बाग में ले जाते समय अवश्य ही उसकी पीठ पर खरोंच के निशान आते किन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के पीठ पर घसीटने का निशान प्रदर्शित नहीं है। वास्तविकता यह है कि किसी ने वास्तव में हत्या होते हुए नहीं देखा। सतीश, जयपाल और मुन्नू यह बताने में असमर्थ रहे कि वे किस मुकदमे (दीवानी या फौजदारी) की तारीख पर जा रहे थे और उसमें वादी/प्रतिवादी कौन था। पुलिस गवाहों ने माना कि मूल एफआईआर और आरोप पत्र के रिकॉर्ड थाने में उपलब्ध नहीं हैं या अपठनीय हैं। मूल तहरीर पर घटना की तारीख भी अंकित नहीं है। पोस्टमार्टम और चोट की रिपोर्ट पेश करने वाले फार्मासिस्ट (सुबोध मिश्रा और विपिन कुमार) 1997 में नियुक्त हुए थे, जबकि घटना 1993 की है। उन्हें इन रिपोर्ट्स की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और मूल डॉक्टरों की या तो मृत्यु हो चुकी है या वे असमर्थ हैं। बचाव पक्ष द्वारा Kanakarajan alias Kanakan v. State of

Kerala AIR 2017 SC 2779, का संदर्भ दिया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि "When there is several infirmities and lacunas in prosecution case, benefit of doubt can be granted to accused." इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि साक्षियों के कथन घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को संदिग्ध करते हैं। **Jaikaran v. State of U. P. 2018 (4) ALJ 529**, में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि "Contradictions in statements of eye-witness, as regards manner of occurrence, shall render presence of eye-witness on spot of occurrence doubtful and his testimony unreliable." बचाव पक्ष के अनुसार घटना के समय कोई स्वतंत्र साक्षी उपस्थित नहीं था और केवल पूर्व रंजिश का लाभ उठाकर अभियुक्तों को झूठा फंसाया गया है, इसलिए सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त किया जाना चाहिए।

33. अभियोजन तथा बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्मता एवं गहनता से परिशीलन किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है। सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रामाणिकता, उसके दर्ज होने के समय और घटना के समय के मध्य के अंतराल का विश्लेषण किया जाना समीचीन होगा।

34. अभियोजन के कथानक के अनुसार, घटना दिनांक 21.05.1993 को प्रातः 06:00 बजे घटित हुई और प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन प्रातः 07:40 बजे थाना जैथरा पर वादी मुकदमा सतीश कुमार (पी०डब्लू०-1) द्वारा दर्ज कराई गई। घटना स्थल से थाने की दूरी और घटना की प्रकृति को देखते हुए 1 घंटा 40 मिनट के इस समय अंतराल का मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वादी सतीश कुमार ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटना के पश्चात् जब उन्होंने देखा कि अशोक की मृत्यु हो चुकी है, तो वे अशोक की लाश को घटनास्थल से उठाकर अपने घर के पास सड़क पर ले आए। घर

वालों और गांव वालों की मौजूदगी में शव को रखकर, लिखित तहरीर रामनरेश से लिखवाकर वे रिपोर्ट लिखाने थाने गए। ग्रामीण परिवेश में, जब किसी व्यक्ति के सगे भाई की उसके सामने दिन-दहाड़े नृशंस हत्या कर दी जाती है, तो परिजनों का मानसिक आघात और भयभीत होना अत्यंत स्वाभाविक है। ऐसे मानसिक आघात की स्थिति में शव को सुरक्षित स्थान पर लाना, गांव वालों को सूचित करना,तहरीर लिखवाना और फिर 5-7 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करके थाने पहुंचना—यह संपूर्ण घटनाक्रम 1 घंटा 40 मिनट के भीतर संपन्न होना प्रथम सूचना रिपोर्ट की तत्परता को ही सिद्ध करता है। इसमें कोई भी अनुचित या अकारण विलंब प्रतीत नहीं होता है।

35. बचाव पक्ष का यह तर्क कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टीटाइम (समय पूर्व) दर्ज की गई है, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से पूर्णतः निराधार सिद्ध होता है, क्योंकि इतनी त्वरित कार्यवाही किसी भी प्रकार के विचार-विमर्श, कूट-रचना या किसी निर्दोष को झूठा फंसाने की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था Krishnan and another v. State, Rep. By Inspector of Police AIR 2003 SC 2978, में यह अवधारित किया गया है कि "घटना के तुरंत बाद दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी व्यक्ति को झूठा फंसाने के लिए विचार-विमर्श की किसी भी संभावना को समाप्त करती है।" तदनुसार, प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यंत त्वरित और स्वाभाविक रूप से दर्ज कराई गई है, जो अभियोजन कथानक की सत्यता को अत्यधिक बल प्रदान करती है।

36. चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए, सर्वप्रथम वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 सतीश कुमार के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। पी०डब्लू०-1 मृतक अशोक का सगा भाई है और उसने घटना का सजीव वर्णन किया है। उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि "जब वे सब

लोग सड़क पर कृपाल के बाग के पास पहुंचे, तभी सामने से पंछी, मिन्टू, विजयपाल, विश्वनाथ, दुर्विजय तथा श्याम व पप्पू जो उसके ही गांव के रहने वाले थे, जिनके हाथों में नाजायज बन्दूक थी, लेकर उनके पास आये।" साक्षी ने यह भी कथन किया है कि "मुल्जिमान अशोक को बाग में ले गये और गोलियां मार दी।" बचाव पक्ष द्वारा जिरह में साक्षी की उपस्थिति को संदेहास्पद बनाने का प्रयास किया गया और यह तर्क किया गया कि वह भरतपुर में नौकरी करता था और घटना के समय वहां उपस्थित नहीं था। परंतु साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह घटना से दो दिन पूर्व ही गांव आया था और अपने भाई तथा अन्य लोगों के साथ न्यायालय में तारीख करने एटा जा रहा था। बचाव पक्ष जिरह में ऐसा कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं ला सका जो साक्षी की घटनास्थल पर उपस्थिति को असत्य साबित कर सके। यद्यपि साक्षी मृतक का सगा भाई है, परंतु केवल रिश्तेदारी के आधार पर किसी साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेषकर तब जब उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर स्वाभाविक हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था Chunni Lal v. State of U. P., AIR 2010 SC 2467, में यह अवधारित किया गया है कि "जहां हितबद्ध साक्षी मृतक के पुत्र थे और सामान्य व प्राकृतिक तरीके से घटनास्थल पर उपस्थित थे और उन्होंने घटना और उसके घटित होने के तरीके का सजीव वर्णन दिया है और उनके साक्ष्य को जिरह में बचाव पक्ष द्वारा नहीं हिलाया जा सका, तो केवल इस कारण से उनके साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है कि वे मृतक से निकटता से संबंधित थे।" अतः पी०डब्लू०-1 का साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय और सत्य प्रतीत होता है।

37. अभियोजन के द्वितीय महत्वपूर्ण साक्षी पी०डब्लू०-2 जयपाल सिंह हैं, जो इस घटना में चुटैल हुए थे। विधिक दृष्टिकोण से एक चुटैल साक्षी का साक्ष्य अत्यधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद चोटें

घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति का सबसे सशक्त और अकाट्य प्रमाण होती हैं। साक्षी ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि "पंछी ने फायर मारा जो उसके बाजू में लगा था।" उसने यह भी कथन किया कि अशोक को अभियुक्तगण खींचकर बाग में ले गए और वहां ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे अशोक की मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष की जिरह में यह साक्षी अपने मुख्य परीक्षा के कथनों पर पूर्णतया अडिग रहा है। इस साक्षी की बायीं बांह और कोहनी पर आई चोटों का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य (प्रदर्श क-3 और क-4) से भी होता है, जिसे पी०डब्लू०-6 विपिन कुमार ने सिद्ध किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Sudha Renukaiah v. State of Andhra Pradesh, AIR 2017 SC 2124**, में यह अवधारित किया गया है कि "जब चक्षुदर्शी साक्षी का साक्ष्य चुटैल साक्षी और साथ ही चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा संपुष्ट होता है, तो विवेचना के दौरान घटनास्थल पर चक्षुदर्शी साक्षी की अनुपस्थिति साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है।" पी०डब्लू०-2 का साक्ष्य इतना सुदृढ़ और स्वाभाविक है कि बचाव पक्ष का कोई भी तर्क इसे संदेहास्पद नहीं बनाता है।

38. पी०डब्लू०-3 मुन्नू सिंह, जो कि घटना का एक अन्य चक्षुदर्शी साक्षी है, ने भी अभियोजन के कथानक का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उसने अपने साक्ष्य में घटना के समय, स्थान, अभियुक्तों के हाथों में हथियारों की मौजूदगी, जयपाल को गोली लगने और अशोक को खींचकर ले जाकर हत्या करने का विस्तृत और संगत वर्णन किया है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी पर आपराधिक मुकदमों का आरोप लगाकर उसकी विश्वसनीयता को क्षीण करने का प्रयास किया, परंतु साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वे सब फौजदारी के मुकदमे इस घटना के बाद के हैं। साक्षी की उपस्थिति घटनास्थल पर पूरी तरह से स्वाभाविक थी क्योंकि वह भी उसी समूह के साथ साइकिल से एटा जा रहा था। तीनों चक्षुदर्शी साक्षियों (पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2, और पी०डब्लू०-3) के

कथनों में घटना के मुख्य बिंदुओं पर पूर्ण एकरूपता है। बचाव पक्ष ने जिन छोटे-मोटे विरोधाभासों (जैसे साइकिल कौन चला रहा था या अभियुक्तों की दूरी कितनी थी) को उभारने का प्रयास किया है, वे घटना की भयावहता और मानवीय स्मृति की सीमाओं को देखते हुए नितांत स्वाभाविक हैं और घटना के मूल कथानक को तनिक भी क्षीण नहीं करते हैं।

39. अभियोजन के औपचारिक साक्षियों में पी०डब्लू०-4 इन्द्रेश कुमार भदौरिया (सेवानिवृत्त निरीक्षक) ने विवेचना की कार्यवाही, रिकॉर्ड के उद्धरण और आरोप पत्र प्रेषित करने की प्रक्रिया को सिद्ध किया है। यद्यपि मूल पत्रावली गुम हो गई थी, परंतु माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पत्रावली का पुनर्निर्माण किया गया और पी०डब्लू०-4 ने द्वितीयक साक्ष्य के रूप में रजिस्टर नंबर 4 और 8 के आधार पर उद्धरण (प्रदर्श क-3) प्रस्तुत किया है, जो विधिक रूप से ग्राह्य है। पी०डब्लू०-5 सुबोध मिश्रा और पी०डब्लू०-6 विपिन कुमार ने क्रमशः मृतक अशोक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) और चुटैल जयपाल की चोट परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क-3 और क-4) को सिद्ध किया है, क्योंकि मूल चिकित्सक अस्वस्थ थे। उन्होंने चिकित्सकों के हस्ताक्षर और लेख को पहचानने का साक्ष्य दिया है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पूर्णतः मान्य है। पी०डब्लू०-7 कैलाश कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-5) को सिद्ध किया है।

40. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी०डब्लू०-1 हेड कांस्टेबल अजब सिंह का साक्ष्य मुख्य रूप से वादी और साक्षियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों का विवरण देने तक सीमित है। इस साक्षी ने रजिस्टर नंबर 8 के आधार पर वादी सतीश, मृतक अशोक और साक्षी मुन्नू के आपराधिक इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया है। विधिक दृष्टिकोण से, यदि किसी व्यक्ति या उसके परिजनों का कोई आपराधिक इतिहास है भी, तो यह तथ्य किसी अन्य व्यक्ति को उनकी हत्या करने का विधिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। डी० डब्लू०-1 का

साक्ष्य घटना के दिन की वास्तविकता, अभियुक्तों की उपस्थिति या उनके द्वारा किए गए अपराध का खंडन नहीं करता है। अतः यह साक्ष्य बचाव पक्ष को अपराध से दोष मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है और न ही यह अभियोजन के चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य को संदेहास्पद बनाता है।

41. सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य और बचाव साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन ने अपने मामले को चक्षुदर्शी साक्षियों के अत्यंत विश्वसनीय और परस्पर सुसंगत साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 और पी०डब्लू०-3 के कथन एक-दूसरे के पूरक हैं। घटना का विवरण, हथियारों का प्रयोग, अभियुक्तों की पहचान और अपराध का तरीका—इन सभी बिंदुओं पर साक्षियों ने बिना किसी प्रमुख विरोधाभास के साक्ष्य दिया है।

42. बचाव पक्ष ने सुनवाई में विधि व्यवस्था **Jaikaran v. State of U. P. 2018 (4) ALJ 529**, का संदर्भ देते हुए तर्क दिया है कि "Contradictions in statements of eye-witness, as regards manner of occurrence, shall render presence of eye-witness on spot of occurrence doubtful and his testimony unreliable," वह इस प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है,क्योंकि यहाँ साक्षियों के कथनों में घटना घटित होने के तरीके को लेकर कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है। इसी प्रकार बचाव पक्ष द्वारा विधि व्यवस्था **Kanakarajan alias Kanakan v. State of Kerala AIR 2017 SC 2779**, का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया है कि "अभियोजन कथानक में विसंगतियां हैं, इस मामले में टिक नहीं पाता है, क्योंकि अभियोजन का मामला एक निर्बाध और सुदृढ़ श्रृंखला प्रस्तुत करता है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। समग्र रूप से, अभियोजन के चक्षुदर्शी साक्षियों का साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय, स्वाभाविक और विधिक रूप से ग्राह्य है, जो अभियुक्तों के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करता है।"

43. घटना की तिथि और समय का विश्लेषण करने पर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य यह निर्विवाद रूप से स्थापित करते हैं कि घटना दिनांक 21.05.1993 को प्रातः 06:00 बजे घटित हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-5 में भी यही समय और तिथि अंकित है, जिसे घटना के मात्र 1 घंटा 40 मिनट बाद 07:40 बजे दर्ज किया गया था। सभी चक्षुदर्शी साक्षियों (पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2, और पी०डब्लू०-3) ने एक स्वर में कथन किया है कि घटना 21-05-1993 की सुबह लगभग 06:00 बजे की है। यह समय गर्मियों के दिनों में पूर्ण प्रकाश का समय होता है, जिसमें 200-400 गज दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है, जैसा कि पी०डब्लू०-1 ने अपनी जिरह में कथन किया है। अतः अभियुक्तों को पहचानने में रोशनी की कोई कमी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, चिकित्सीय साक्ष्य भी इस समय की पुष्टि करता है। मृतक अशोक के पेट और आंतों की स्थिति (जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्शायी जाती है) प्रातःकाल बिना भोजन किए घर से निकलने के तथ्य से मेल खाती है। पी०डब्लू०-1 ने जिरह में कथन किया है कि "सुबह 06:00 बजे कोई खाना नहीं खाता।" मृत्यु का समय-चिकित्सक साक्ष्य के अनुसार पोस्टमार्टम के समय के 24 घंटे के भीतर होना पाया गया। इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य और चक्षुदर्शी साक्षियों की गवाही के बीच का यह अंतर ऐसा नहीं है जो इस निष्कर्ष पर ले जाए कि अभियोजन का मामला सही नहीं था।" प्रस्तुत मामले में पोस्टमार्टम दिनांक 22.05.1993 को हुआ और मृत्यु का संभावित समय 'सवा दिन' पूर्व बताया गया, जो दिनांक 21.05.1993 की प्रातः 06:00 बजे के घटना समय से पूर्णतया सटीक बैठता है। अतः घटना की तिथि दिनांक 21.05.1993 और समय प्रातः 06:00 बजे अकाट्य रूप से प्रमाणित है।

44. घटना के स्थान का विश्लेषण करने पर यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि घटना ग्राम बनियाढारा से जैथरा जाने वाले पक्के मार्ग पर कृपाल सिंह के बाग के पास प्रारम्भ हुई और उसके पश्चात् मृतक अशोक को सड़क से पश्चिम की ओर बाग में खींचकर ले जाया गया, जहाँ उसकी हत्या की गई। पी०डब्लू०-1 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट किया है कि "हम लोग सड़क पर कृपाल के बाग के पास पहुंचे" और फिर "सड़क के पश्चिम की ओर खींचते लेकर भागे... अशोक को पंछी आदि उपरोक्त अपने बाग में ले गये और... गोलियां मारकर हत्या कर दी।" पी०डब्लू०-2 और पी०डब्लू०-3 ने भी इस स्थान का पूर्ण समर्थन किया है। पुलिस विवेचक द्वारा तैयार किया गया नक्शा नजरी और घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी का कब्ज़े में लिया जाना इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि घटना उसी विशिष्ट स्थान पर घटित हुई थी। बचाव पक्ष जिरह में घटनास्थल को लेकर कोई भी संशय उत्पन्न करने में पूर्णतः विफल रहा है। साक्षियों द्वारा बताई गई दिशाएं, सड़क की स्थिति और बाग की अवस्थिति भौतिक साक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाती है। अतः घटना का स्थान कृपाल सिंह का बाग और उससे सटी सड़क निर्विवाद रूप से सिद्ध है।

45. घटना के समय और स्थान पर अभियुक्तों और पीड़ितों की उपस्थिति के प्रश्न का गहराई से विश्लेषण करना नितांत आवश्यक है। वादी पी०डब्लू०-1 के अनुसार, वह, उसका भाई अशोक (मृतक), जयपाल (चुटैल पी०डब्लू०-2), मोहर सिंह और मुन्नू (पी०डब्लू०-3) एटा न्यायालय में तारीख करने के लिए साइकिलों से जा रहे थे। यह एक अत्यंत स्वाभाविक कारण है जो उनकी प्रातः 06:00 बजे सड़क पर उपस्थिति को उचित ठहराता है। जयपाल का घटना में चुटैल होना उसकी और उसके साथ चल रहे अशोक की घटनास्थल पर उपस्थिति का अकाट्य भौतिक प्रमाण है। जहां तक अभियुक्तों की उपस्थिति का प्रश्न है, तीनों चक्षुदर्शी साक्षियों ने एकमत से कथन किया है कि अभियुक्तगण पंछी, मिन्टू, विजयपाल उर्फ बृजपाल, पप्पू उर्फ कुसुम कुमार

आदि पहले से ही पतेल की आड़ में घात लगाए बैठे थे और जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचे, वे हथियारों सहित बाहर आ गए। अभियुक्तगण उसी गांव के निवासी हैं और वे पीड़ितों के मार्ग से भली-भांति परिचित थे। पूर्व रंजिश के कारण उनका वहां घात लगाकर बैठना उनके सामान्य उद्देश्य का परिचायक है। साक्षियों ने अभियुक्तों को बहुत नज़दीक से और दिन के पर्याप्त प्रकाश में देखा और पहचाना है। पी०डब्लू०-1 ने जिरह में कथन किया है कि "मुल्जिमानों को सबसे पहले 10-15 गज की दूरी से देखा था।" इतनी कम दूरी से और एक ही गांव के निवासी होने के कारण पहचान में किसी भी प्रकार की भूल की संभावना शून्य है। अतः साक्षियों और अभियुक्तों की घटनास्थल पर उपस्थिति संदेह से परे विधिक रूप से प्रमाणित होती है।

46. प्रस्तुत प्रकरण में अपराध में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली के अनुसार, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के पश्चात् उन बन्दूकों या रायफलों की बरामदगी नहीं दर्शाई गई है जिनसे फायर किए गए थे। सामान्यतः अभियोजन के मामले में अपराध के हथियार की बरामदगी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो अभियुक्त को अपराध से जोड़ती है। परंतु, विधिक सिद्धांतों के अनुसार, यदि चक्षुदर्शी साक्षियों का साक्ष्य अत्यंत सुदृढ़, विश्वसनीय और निर्विवाद है, तो केवल हथियार की बरामदगी न होने से अभियोजन का पूरा मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है। विधि व्यवस्था **Nankaunoo v. State of U. P., AIR 2016 SC 447**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि "जब निर्विवाद मौखिक साक्ष्य के साथ चिकित्सीय साक्ष्य मौजूद हो कि मृतक की मृत्यु बंदूक की गोली लगने से हुई मानव वध है, तो अपराध के हथियार असलाह की मात्र बरामदगी न होना अभियोजन के मामले को भौतिक रूप से प्रभावित नहीं करेगा।" प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू०-1, 2 और 3 के मौखिक साक्ष्य इतने स्पष्ट और अकाट्य हैं और

उनका समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से इस कदर होता है कि हथियारों की बरामदगी न होना अभियोजन कथानक के लिए घातक नहीं है। इसके अतिरिक्त, घटनास्थल पर छोड़ी गई साइकिलें और वहां गिरा हुआ रक्त घटना की वास्तविकता को स्वतः प्रमाणित करते हैं।

47. इस प्रकरण में चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन कथानक की पुष्टि करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मृतक अशोक के शव का पोस्टमार्टम और चुटैल जयपाल को चोट परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे औपचारिक साक्षियों ने सिद्ध किया है। चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार मृतक और चुटैल के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

- मृतक अशोक के सिर के दाहिनी तरफ 2X2 सेमी का गोली घुसने का घाव (आर-पार)।
- मृतक अशोक के सिर पर 5X5 सेमी का गोली निकलने का घाव।
- मृतक अशोक के कान की सीधी तरफ 1X1 सेमी का गोली घुसने का घाव।
- मृतक अशोक के सिर पर 4X4 सेमी का गोली निकलने का घाव।
- मृतक अशोक के दाहिने सीने पर 2X2 सेमी का स्किन डीप गोली घुसने का घाव।
- चुटैल जयपाल की कोहनी के पास 0.5X0.5 सेमी का गोलाकार फटा हुआ घाव, जिस पर ताजा खून मौजूद था।चुटैल जयपाल की बायीं बांह के अंदरूनी हिस्से में 1.5X1.5 सेमी के कई फटे हुए गोलाकार घाव।

48. उक्त चिकित्सीय साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि मृतक अशोक को एकाधिक गोलियां अत्यंत निकट से और महत्वपूर्ण अंगों (सिर और सीने) पर मारी गई थीं, जो उसकी तत्काल मृत्यु का कारण बनीं। मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्त स्राव एवं कोमा बताया गया है, जो सिर में गोली लगने का सीधा परिणाम है। जयपाल की चोटें भी आग्नेयास्त्र से उत्पन्न

हुई हैं, जो चक्षुदर्शी साक्षियों के इस कथन की पूर्णतः पुष्टि करती हैं कि पंछी ने जयपाल पर फायर किया था जो उसकी बाजू में लगा था। घावों की प्रकृति और उनका आकार स्पष्ट रूप से असलाह के प्रयोग को प्रमाणित करता है। अभियोजन द्वारा उद्धृत विधि व्यवस्था **Fahad v. State of U. P. 2018 (6) ALJ 737**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि "Medico legal report assists Court in formulating opinion in regard to manner in which incident might have taken place and what penal provision to invoke. It can either endorse incident as given by eye-witnesses or can disprove incident to great extent." प्रस्तुत मामले में, चिकित्सीय साक्ष्य चक्षुदर्शी साक्षियों के विवरण का अक्षरशः समर्थन करता है। गोलियों के घाव और उनकी दिशा यह सिद्ध करती है कि अभियुक्तों ने अशोक को घेरकर अत्यंत निकट से ताबड़तोड़ गोलियां मारी थीं। अतः चोटों की प्रकृति और अभियुक्तों द्वारा किए गए कृत्य के बीच एक सीधा और अकाट्य संबंध विधिक रूप से प्रमाणित होता है।

49. घटना के हेतुक और अभियुक्तों के आशय का मूल्यांकन भी अभियोजन मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पी०डब्लू०-1 और पी०डब्लू०-3 ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दोनों पक्षों के मध्य गांव की पूर्व पार्टीबंदी और पुरानी रंजिश चली आ रही थी। पी०डब्लू०-1 ने जिरह में स्वीकार किया है कि अभियुक्तों ने उसके बड़े भाई रिषीपाल की हत्या की थी और उस मुकदमे में वे छूट गए थे। इसी प्रकार, अभियुक्त पंछी पर गोली चलने के मामले में वादी के भाई दिनेश आदि को सजा हुई थी। गांव में हुए इन सिलसिलेवार हत्याओं ने दोनों परिवारों के बीच गहरी शत्रुता उत्पन्न कर दी थी। यही पुरानी शत्रुता अशोक की हत्या का प्रबल हेतुक बनी। यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य की उपस्थिति में हेतुक का सिद्ध होना अनिवार्य नहीं है, परंतु जब यह सिद्ध हो जाता है, तो यह अभियोजन मामले को और भी सुदृढ़ कर देता है। विधि

व्यवस्था **Makkhan v. State of U.P. 2018 (3) ALJ 769**, में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "Motive is not considered as sine qua non for commission of crime and failure to prove motive shall not be fatal to case of prosecution, especially when other reliable evidence is available on record." इसके साथ ही विधि व्यवस्था **Bipin Kumar Mondal v. State of W. B., 2010 AIR SCW 4470**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "विश्वसनीय साक्षियों का साक्ष्य उपलब्ध होने पर हेतुक अप्रासंगिक हो जाता है।" प्रस्तुत मामले में न केवल चक्षुदर्शी साक्षियों का विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है, बल्कि हेतुक भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित है।

50. जहां तक अभियुक्तों के आशय का प्रश्न है, घटना का तरीका उनके स्पष्ट और पूर्व-नियोजित इरादे को दर्शाता है। अभियुक्तगण प्रातः 06:00 बजे हथियारों से लैस होकर पतेल की आड़ में घात लगाए बैठे थे। यह तथ्य उनके पूर्व-नियोजित षड्यंत्र और सामान्य आशय को प्रमाणित करता है। जब अशोक ने साइकिल नहीं रोकी, तो उन्होंने फायर किया और फिर अशोक को बलपूर्वक सड़क से खींचकर बाग में ले गए। इसके बाद उसे घेरकर उसके सिर और सीने जैसे अत्यंत मर्मज्ञ और नाजुक अंगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर एकाधिक घातक प्रहार करना इस बात का असंदिग्ध प्रमाण है कि अभियुक्तों का एकमात्र आशय अशोक की मृत्यु कारित करना ही था। यह कृत्य किसी आकस्मिक उत्तेजना का परिणाम नहीं था, बल्कि एक सोची-समझी और क्रूर हत्या थी। अतः हत्या का आशय और प्रयास का आशय पूर्णतया विधिक रूप से सिद्ध होता है।

51. चूंकि प्रस्तुत मामला प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए इसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला नहीं माना जा सकता है। फिर भी, यदि सावधानीवश घटना की परिस्थितियों की श्रृंखला का मूल्यांकन किया

जाए, तो वह भी एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला बनाती है। वादी और मृतक का प्रातः घर से निकलना, उनका उसी विशिष्ट मार्ग से जाना, अभियुक्तों का हथियारों के साथ वहां पहले से उपस्थित होना, उन्हें रोकना, फायर करना, जयपाल का घायल होना, अशोक को खींचकर ले जाना, गोलियों की आवाज़, मृतक के शरीर पर गोलियों के घाव, और अभियुक्तगण का वहां से भागना—ये सभी परिस्थितियां एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि वे केवल और केवल अभियुक्तगण के अपराध की ओर ही इंगित करती हैं और उनकी निर्दोषिता की किसी भी अन्य परिकल्पना को पूर्णतः समाप्त कर देती हैं।

52. अभियोजन साक्ष्य के आधार पर सिद्ध और असिद्ध तथ्यों का विस्तृत और गहन विश्लेषण इस विचारण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अभियोजन साक्ष्य ने एक निर्बाध कथा प्रस्तुत की है जो तथ्यों की कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है। सबसे पहला सिद्ध तथ्य यह है कि वादी सतीश, मृतक अशोक, चुटैल जयपाल, मोहर सिंह और मुन्नू सिंह एक साथ मौके पर मौजूद थे और वे सभी दिनांक 21.05.1993 को एक साथ एटा न्यायालय जाने के लिए निकले थे। यह तथ्य किसी भी जिरह से खंडित नहीं हुआ है। दूसरा सिद्ध तथ्य यह है कि अभियुक्त पक्ष (जिसमें मिन्टू, विजयपाल उर्फ बृजपाल, पप्पू उर्फ कुसुम कुमार, दुर्विजय सिंह शामिल थे) और वादी पक्ष के मध्य गहरी और पुरानी रंजिश थी, जो पूर्व में हुई हत्याओं (रिषीपाल की हत्या और वीरेंद्र की हत्या) से उत्पन्न हुई थी। यह तथ्य पी०डब्लू०-1 की जिरह में स्वयं बचाव पक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों से प्रमाणित हुआ है।

53. तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध तथ्य यह है कि अभियुक्तगण हथियारों से लैस होकर घटना स्थल (कृपाल के बाग के पास) पर घात लगाकर बैठे थे। यह उनकी पूर्व तैयारी और सामान्य उद्देश्य को निर्विवाद रूप से सिद्ध करता है। चौथा सिद्ध तथ्य यह है कि जब मृतक अशोक ने साइकिल नहीं रोकी, तो उसे रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया और पहला फायर किया गया जो

जयपाल की बांह में लगा। जयपाल का चिकित्सीय परीक्षण इस तथ्य का अकाट्य विधिक प्रमाण है। पांचवां सिद्ध तथ्य यह है कि अशोक को साइकिल से गिरने के बाद अभियुक्तों द्वारा जबरन पकड़कर सड़क से पश्चिम की ओर बाग में घसीट कर ले जाया गया। यह कृत्य उनके सामान्य उद्देश्य का एक सक्रिय भाग था। छठा और सबसे निर्णायक सिद्ध तथ्य यह है कि अभियुक्तों ने बाग में ले जाकर अशोक को घेरकर गोलियों से छलनी कर दिया। पी०डब्लू०-1 और पी०डब्लू०-3 ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि सभी अभियुक्तों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। यह तथ्य मृतक के शरीर पर पाए गए एकाधिक प्रविष्टि और निकास घावों से पूर्णतः सिद्ध होता है। सातवां सिद्ध तथ्य यह है कि घटना के तुरंत बाद, बिना किसी अकारण विलंब के, मात्र 1 घंटा 40 मिनट के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई, जिसमें सभी अभियुक्तों को नामजद किया गया और घटना का सटीक विवरण दिया गया। यह तत्परता अभियोजन कथानक की सच्चाई पर मुहर लगाती है।

54. दूसरी ओर, वे तथ्य जो अभियोजन साक्ष्य या बचाव साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं हो सके, उनका उल्लेख भी आवश्यक है। बचाव पक्ष यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है कि वादी और अन्य चक्षुदर्शी साक्षी घटना के समय वहां उपस्थित नहीं थे। यद्यपि बचाव पक्ष ने यह तर्क किया कि पी०डब्लू०-1 भरतपुर में रहता था,परंतु पी०डब्लू०-1 ने स्पष्ट किया कि वह घटना से पूर्व गांव आया हुआ था। बचाव पक्ष ने इस स्पष्टीकरण को झुठलाने के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। बचाव पक्ष यह भी सिद्ध करने में विफल रहा है कि जयपाल की चोटें स्वयं निर्मित थीं या किसी अन्य घटना में आई थीं।

55. बचाव पक्ष के साक्षी डी०डब्लू०-1 अजब सिंह ने वादी पक्ष के आपराधिक मुकदमों की सूची प्रस्तुत करके यह दर्शाने का प्रयास किया कि वादी पक्ष स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति का है। परंतु विधिक रूप से यह तथ्य "असिद्ध" है कि

वादी पक्ष के आपराधिक इतिहास के कारण ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने अशोक की हत्या कर दी हो। किसी व्यक्ति का आपराधिक इतिहास होना दूसरे व्यक्ति को उसकी दिन-दहाड़े हत्या करने का विधिक अधिकार नहीं देता। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अपने बयानों में केवल सामान्य इन्कार किया है और "राजनैतिक विद्वेष और गांव की पार्टीबंदी" का झूठा तर्क लिया है। परंतु वे इस बात का कोई भी विधिक और तार्किक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके कि पुलिस, चिकित्साधिकारी और चक्षुदर्शी साक्षियों ने मिलकर उनके विरुद्ध कोई वृहद षड्यंत्र क्यों रचा होगा। अतः बचाव पक्ष द्वारा लिया गया झूठे फंसाने का आधार पूर्णतः असिद्ध और निराधार है।

56. आरोपों और साक्ष्य की कड़ियों का गहन और विस्तृत विधिक विश्लेषण विचारण का निर्णायक चरण है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण मिन्टू, विजयपाल उर्फ बृजपाल सिंह, पप्पू उर्फ कुसुम कुमार एवं दुर्विजय सिंह के विरुद्ध धारा 147/148, 302/149, 307/149 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। प्रत्येक आरोप के आवश्यक विधिक तत्वों का साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करना समीचीन होगा।

57. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 बलवा और 148 घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा करने से संबंधित हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पांच या अधिक व्यक्तियों का एक विधिविरुद्ध जमाव हो, उनका एक सामान्य उद्देश्य हो, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया गया हो। साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण (जिनकी संख्या 5 से अधिक थी— पंछी(मृतक), मिन्टू, दुर्विजय, विजयपाल, पप्पू और (श्याम जो कि न्यायालय में उपस्थित नहीं आया,जिस कारणवश उसकी पत्रावली पृथक की गयी) ये सभी हथियारों (असलहे) से लैस होकर एक साथ आए थे। उनका एक साथ घात लगाकर बैठना, एक साथ हमला करना, और अशोक को एक साथ

घसीटकर ले जाना यह सिद्ध करता है कि वे एक विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और वे सभी घातक आयुधों से सज्जित थे। अतः धारा 148 के आरोप सभी उपस्थित अभियुक्तों (मिन्टू, विजयपाल, पप्पू) के विरुद्ध निर्विवाद रूप से सिद्ध होते हैं।

58. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/149 हत्या और विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य की सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए अपराध के लिए प्रतिनिधिक देयता से संबंधित है। धारा 149 के अंतर्गत, यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई अपराध किया जाता है, तो हर व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा। प्रस्तुत मामले में, पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2 और पी०डब्लू०-3 के साक्ष्य से यह अकाट्य रूप से प्रमाणित है कि सभी अभियुक्तों ने मिलकर अशोक को घेरा, उसे बलपूर्वक बाग में ले गए और वहां सभी ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। यहां यह विधिक रूप से आवश्यक नहीं है कि अभियोजन यह सिद्ध करे कि किस अभियुक्त की गोली से कौन सा विशिष्ट घाव उत्पन्न हुआ। विधि व्यवस्था **Sangram Singh v. State of U. P. 2018 (6) ALJ 753**,में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि "When all members of assembly know about offence likely to be committed, they are not required to do some overt act when assembled together and mere presence of such persons in unlawful assembly shall attract vicarious liability under S. 149." इसी प्रकार विधि व्यवस्था **Yunis alias Kariya etc., v. State of Madhya Pradesh, 2003 Cri LJ 817 (SC)**, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि "भले ही किसी विशेष व्यक्ति पर कोई प्रत्यक्ष कार्य का आरोप न लगाया गया हो, जब आरोप धारा 149 के तहत हो, तो विधिविरुद्ध जमाव के हिस्से के रूप में अभियुक्त की

उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।" प्रस्तुत मामले में तो साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि सभी ने घेरकर गोलियां मारीं और अशोक को घसीटने में सभी शामिल थे। अशोक की हत्या करना इस विधिविरुद्ध जमाव का स्पष्ट सामान्य उद्देश्य था। अतः मिन्टू, विजयपाल उर्फ बृजपाल, दुर्विजय सिंह और पप्पू पर धारा 302 सपठित धारा 149 का आरोप पूर्णतया विधिक रूप से सिद्ध होता है।

59. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/149 हत्या के प्रयास और सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। साक्ष्य के अनुसार, जब अशोक ने साइकिल नहीं रोकी, तो जमाव के एक सदस्य (पंछी, जो अब मृत है) ने बन्दूक से फायर किया जो जयपाल की बांह में लगा। यह कृत्य जमाव के सामान्य उद्देश्य (वादी पक्ष पर प्राणघातक हमला करना) के अग्रसरण में किया गया था। इस कृत्य के दौरान उपस्थित सभी अभियुक्त धारा 149 के तहत इस कृत्य के लिए भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। फायर की प्रकृति, प्रयुक्त हथियार (असलहा), और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि यदि गोली किसी अधिक महत्वपूर्ण अंग पर लगती, तो जयपाल की मृत्यु हो सकती थी। अतः धारा 307 सपठित धारा 149 का आरोप भी सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक रूप से सिद्ध होता है।

60. बचाव पक्ष का यह तर्क कि साक्षियों के बयानों में विरोधाभास है और वे हितबद्ध साक्षी हैं, विधिक कसौटी पर टिक नहीं पाता। बचाव पक्ष ने जिन त्रुटियों की ओर इंगित किया है, वे नितांत मामूली हैं, जैसे घटनास्थल की दूरी का सटीक अनुमान न लगा पाना या साइकिल किसने पकड़ी, यह न देख पाना। विधिक सिद्धांत यह है कि ग्रामीण और अकुशल साक्षियों के साक्ष्य में गणितीय सटीकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। घटना की दहशत के कारण स्मृति में मामूली भिन्नता आना एक प्राकृतिक मानवीय स्वभाव है। यह उनके साक्ष्य की सत्यता को क्षीण नहीं करता, बल्कि उसे रटे-रटाए साक्ष्य होने से बचाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था Shivappa v. State

of Karnataka, 2008 AIR SCW 2608, में यह निर्धारित किया गया है कि " Minor discrepancies or some improvements also, in our opinion, would not justify rejection of the testimonies of the eye-witnesses, if they are otherwise reliable. Some discrepancies are bound to occur because of the sociological background of the witnesses as also the time gap between the date of occurrence and the date on which they give their depositions in court. बचाव पक्ष का साक्ष्य (डी०डब्लू०-1) अभियोजन के मूल मामले को चुनौती देने में पूर्णतः प्रभावहीन रहा है।

61. उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण एवं निष्कर्षों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने चक्षुदर्शी साक्षियों (पी०डब्लू०-1, पी०डब्लू०-2, और पी०डब्लू०-3) के सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-2) एवं चोट परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श क-3) के माध्यम से यह अकाट्य रूप से प्रमाणित किया है कि अभियुक्तों ने एक विधिविरुद्ध जमाव बनाकर, घातक आयुधों से सज्जित होकर बलवा किया (धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता), जयपाल पर प्राणघातक हमला किया (धारा 307/149 भारतीय दण्ड संहिता), और अशोक की निर्मम हत्या की (धारा 302/149 भारतीय दण्ड संहिता)। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन के मामले में कोई भी युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करने में पूर्णतः विफल रहा है। अभियुक्तगण मिन्टू पुत्र रूप सिंह, बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह पुत्र हेत सिंह, दुर्विजय सिंह पुत्र किशन एवं पप्पू उर्फ कुसुम कुमार पुत्र सूरज पाल के विरुद्ध विरचित सभी आरोप पूर्णतः सिद्ध पाए गए हैं। पूर्वगामी विवेचना,साक्ष्य के विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि **अभियुक्तगण मिन्टू, बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह, दुर्विजय सिंह एवं पप्पू उर्फ कुसुम कुमार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148, 302/149 एवं 307/149** के अंतर्गत कारित अपराधों के आरोप में **दोषसिद्ध** किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

62. उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण एवं निष्कर्षो के आधार पर,**अभियुक्तगण मिन्टू पुत्र रूप सिंह निवासी बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा, बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह पुत्र हेत सिंह निवासी बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा, दुर्विजय सिंह पुत्र किशन एवं पप्पू उर्फ कुसुम कुमार पुत्र सूरज पाल निवासी बनियाढारा थाना जैथरा** जिला एटा को मु.अ.स. 116/1993 थाना जैथरा से सम्बंधित भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 148, 302/149, 307/149 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए एतद्द्वारा **दोषसिद्ध** किया जाता है।

63. अभियुक्तगण **मिंटू तथा पप्पू उर्फ कुसुम कुमार** जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं और प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये।

64. अभियुक्तगण **बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह व दुर्विजय सिंह** जेरे हिरासत द्वारा विडीयों कॉन्फ्रेसिंग उपस्थित है।

65. अधीक्षक, जिला कारागार, एटा को आदेशित किया जाता है कि वे जेल में निरूद्ध अभियुक्तगण **बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह व दुर्विजय सिंह** का हस्ताक्षर निर्णय/आदेशपत्रक पर कराकर अविलम्ब इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

66. दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध अभियुक्तगण की सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

<u>दिनांकः 18.07.2026</u>

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01,
एटा।

दंडादेश पर सुनवाई एवं आदेश

67. पत्रावली दण्डादेश पर सुनवाई एवं आदेश हेतु लंच बाद पेश हुई। दोषसिद्ध **अभियुक्तगण मिन्टू, बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह, दुर्विजय सिंह एवं पप्पू उर्फ कुसुम कुमार** को आज दंडादेश के प्रश्न पर सुना गया।

68. अभियोजन पक्ष् की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने यह तर्क किया कि यह एक अत्यंत नृशंस, पूर्व-नियोजित और दिन-दहाड़े की गई हत्या है। अभियुक्तों ने घातक हथियारों से लैस होकर एक निहत्थे व्यक्ति की घेरकर हत्या की है और एक अन्य को गंभीर रूप से घायल किया है। इस प्रकार के जघन्य अपराध समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न करते हैं और समाज पर इसका व्यापक दुष्प्रभाव पड़ता है। अपराध की गंभीरता, क्रूरता और अभियुक्तों के आपराधिक कृत्य को देखते हुए, अभियोजन पक्ष ने प्रार्थना की है कि अभियुक्तों को विधि के अंतर्गत कठोरतम दंडादेश दिया जाए ताकि समाज में निवारक संदेश जाए।

69. दोषसिद्ध अभियुक्तों की ओर से उनके विद्वान अधिवक्तागण ने यह तर्क किया कि घटना लगभग 33 वर्ष पूर्व (वर्ष 1993) की है। इस सुदीर्घ अवधि के विचारण के दौरान अभियुक्तगण निरंतर मानसिक और शारीरिक संताप झेल रहे हैं। अभियुक्तों का कोई अन्य आपराधिक इतिहास सिद्ध नहीं है और वे अपने परिवारों के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। उनके ऊपर वृद्ध माता-पिता, पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व है। इतने वर्षों के बाद उनमें सुधार की पूर्ण संभावना विद्यमान है, अतः उनके प्रति दंडादेश के प्रश्न पर अत्यधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए।

70. दंडादेश के निर्धारण में गुरुतर और शमनकारी परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, अपराधी की सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि, तथा निवारण एवं न्याय के सामाजिक हित के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित करना विधिक रूप से आवश्यक है। दंड सदैव कारित अपराध के आनुपातिक होना चाहिए।

विचारण के दौरान स्थापित विशिष्ट तथ्यों, अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, जिसके लिए **अभियुक्तगण मिन्टू, बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह, एवं पप्पू उर्फ कुसुम कुमार** को दोषसिद्ध किया गया है, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों, और सुसंगत विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात्, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित दंडादेश सर्वथा उचित होगा।

दंडादेश

71. दोषसिद्ध **अभियुक्तगण मिन्टू पुत्र रूप सिंह निवासी बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा, बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह पुत्र हेत सिंह निवासी बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा, एवं पप्पू उर्फ कुसुम कुमार पुत्र सूरज पाल निवासी बनियाढारा थाना जैथरा जिला एटा** को मु.अ.स.116/1993 थाना जैथरा से सम्बंधित प्रकरण में एतदद्वारा निम्नानुसार दंडित किया जाता है:

72. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सपठित धारा 149 के अंतर्गत अपराध हेतु आजीवन कारावास के दंडादेश और 25,000 रुपये (पचीस हजार रुपये प्रत्येक) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम होने पर, दोषसिद्ध अभियुक्तगण 02 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेंगे।

73. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सपठित धारा 149 के अंतर्गत अपराध हेतु 10 वर्ष के कठोर कारावास के दंडादेश और 10,000 रुपये (दस हजार रुपये प्रत्येक) के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम होने पर, दोषसिद्ध अभियुक्तगण 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेंगे।

74. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत अपराध हेतु 02 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश और 3,000 रुपये (तीन हजार रुपये प्रत्येक) के अर्थदंड

से दंडित किया जाता है। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम होने पर, दोषसिद्ध अभियुक्तगण 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेंगे।

75. मृतक अशोक के वारिसों को प्रतिकर के रूप में ₹1,25,000 (एक लाख पचीस हजार रुपये) अर्थदण्ड की धनराशि में से अदा किया जाये। कार्यालय लिपिक अर्थदण्ड जमा होने के पश्चात इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

76. कारावास के सभी मूल दंडादेश साथ-साथ चलेंगे।

77. अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान दोषसिद्ध अभियुक्तों द्वारा पूर्व में भुगती गई निरोध की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अनुसार उनके द्वारा भुगते जाने वाले कारावास की अवधि में समायोजित किया जाए।

78. तदनुसार दंड अधिपत्र तैयार कर संबंधित जेल अधीक्षक को प्रेषित किया जाए।

79. निर्णय और दंडादेश आदेश की एक प्रति दोष सिद्ध **अभियुक्तों मिन्टू, पप्पू उर्फ कुसुम कुमार** को तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए तथा अभियुक्तगण बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह व दुर्विजय सिंह जिला कारागार से जरिये वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा उपस्थित हैं, उन्हें जिला कारागार में उपलब्ध कराई जाये।

80. विधि की अपेक्षानुसार निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी को भी प्रेषित की जाए।

81. **दोषसिद्ध अभियुक्तों मिन्टू, बृजपाल सिंह उर्फ विजयपाल सिंह, दुर्विजय सिंह एवं पप्पू उर्फ कुसुम कुमार** को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें इस दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है, और यदि वे पात्र हैं तथा उन्हें आवश्यकता है, तो ऐसी अपील योजित करने हेतु वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक सहायता सेवाएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

82. निर्णय की एक प्रति संबंधित पत्रावली सत्र वाद संख्या-893/2026 राज्य बनाम दुर्विजय सिंह की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक: 18.07.2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01,
एटा।

आज यह आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 18.07.2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01,
एटा।